



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 10, 2018/श्रावण 19, 1940

No. 562]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 10, 2018/SHRAVANA 19, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

(वन संरक्षण प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 766(अ).—केन्द्रीय सरकार ने प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 30 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस तारीख, जिसको भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना अन्तर्विष्ट है की प्रतियां, जन साधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं, से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने से पूर्व उन व्यक्तियों से, जिनके इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, से आपत्ति और सुझाव आमंत्रित करने के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 172 (अ) तारीख 16 फरवरी, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 17 फरवरी, 2018 में प्रारूप प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 को प्रकाशित किया था;

और जिस राजपत्र में उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, उसकी प्रतियां जन साधारण को 17 फरवरी, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 22 के साथ पठित प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 30 की उपधारा (1) और धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार के साथ परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम, 2018 है।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) **"अधिनियम"** से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) अभिप्रेत है;
- (ख) **"वार्षिक प्रचालन स्कीम"** से यथास्थिति राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, द्वारा अनुमोदित भौतिक क्रियाकलाप या वित्तीय उपबंधों की वह वार्षिक स्कीम अभिप्रेत है, जिसमें महत्वपूर्ण उपलब्धियों और सफलता की शर्तों का वर्णन किया जाता है और जिसमें यह विस्तार से बताया जाता है कि प्रदत्त बजट अवधि में, वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी कार्यनीतिक वार्षिक स्कीम को किस प्रकार प्रचालित किया जाएगा और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष के दौरान राज्य निधि से निष्पादित किए जाने वाले प्रत्येक क्रियाकलाप का संक्षिप्त विवरण, प्रकलन लागत, लागत अनुमान का आधार, क्रियान्वयन के लिए अभिज्ञात अभिकरण तथा समय सारणी शामिल है;
- (ग) **"प्ररूप"** से इन नियमों से संबद्ध प्ररूप है;
- (घ) **"धारा"** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ङ) **"तृतीय पक्षकार निगरानी"** से उन पक्षकारों द्वारा राष्ट्रीय निधि तथा राज्य निधि से निष्पादित कार्यों की निगरानी तथा मूल्यांकन अभिप्रेत हैं, जो परिस्कीम की प्रत्यक्ष फायदाग्राही श्रृंखला और प्रबंधन संरचना से बाहर के हों, जिनका केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्धारण करने के लिए कि अपेक्षित सामाजिक, पर्यावरणीय या अन्य प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं और अनपेक्षित प्रभावों से बचा जा रहा है, बेस लाइन के अतिरिक्त यथा निर्धारित मूल्यांकन के पैरामीटरों पर हितों का टकराव न हो, अभिप्रेत है;
- (च) **"ग्राम वन प्रबंधन समिति"** से राज्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन के लिए गठित समिति अभिप्रेत है;
- (छ) **"कार्यपालक स्कीम"** से भारत में वनों तथा जैव-विविधता के वहनीय प्रबंधन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "राष्ट्रीय कार्यपालक स्कीम संहिता" के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार तथा अनुमोदित की गई वन भूमि प्रबंधन स्कीम अभिप्रेत है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (1980 का 69), जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) तथा इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमशः उन अधिनियमों और नियमों में उनके अर्थ के समनुदेशित ही रहेगा।
3. **राष्ट्रीय निधि का प्रबंधन** – राष्ट्रीय निधि का प्रबंधन समय-समय पर यथा प्रयोज्य सरकारी लेखांकन नियम, 1990 और साधरण वित्त नियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
4. **राज्य निधि का प्रबंधन** - राज्य निधि का प्रबंधन राज्य वित्तीय नियमों के उपबंधों या राज्य में समय-समय पर प्रयोज्य ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य के उपयोग की रीति** – (1) राज्य निधि में जमा की गई निवल वर्तमान मूल्य हेतु प्राप्त रकमों का उपयोग उपनियम (2) और उपनियम (3) में विहित रीति से किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित रकमों की अस्सी प्रतिशत से अन्यून रकम राज्य में वन तथा वन्यजीव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाई जाएगी, अर्थात् :

- (क) सहायता प्रदत्त प्राकृतिक पुनरुज्जीवन;
- (ख) कृत्रिम पुनरुज्जीवन;
- (ग) वनों में वन-वर्धन संबंधी कार्यकलाप;
- (घ) रोपणों और वनों का संरक्षण;
- (ङ.) वनों में नाशक जीव और रोगों का नियंत्रण;
- (च) दावानल निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यकलाप;
- (छ) वनों में मृदा और आर्द्रता संरक्षण संबंधी कार्य;
- (ज) संरक्षित क्षेत्रों से गांवों को स्वैच्छिक रूप से अन्यत्र बसाया जाना;
- (झ) अनुमोदित वन्यजीव प्रबंधन स्कीम/कार्यपालक स्कीम में यथा विहित वन्यजीव पर्यावास का सुधार;
- (ञ) वन्यजीव गलियारों में आने वाली वनेतर भूमि पर रोपण तथा वनावरण का पुनरुज्जीवन;
- (ट) पशु बचाव केन्द्र की स्थापना, अभिचालन और अनुरक्षण और वन्य पशुओं के लिए पशु उपचार सुविधाएं;
- (ठ) वन की सीमा के निकटतम गांवों में राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट काष्ठ की बचत करने वाले उपकरणों और अन्य वन उत्पादों की बचत करने वाले यंत्रों की आपूर्ति।
- (ड) जैव विविधता तथा जैव संसाधनों का प्रबंधन

स्पष्टीकरण : ऐसे मामलों में जहां वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण की स्कीमों के लिए निधियां विनिर्दिष्ट रूप से एकत्रित की जाती हैं और राज्य निधि में जमा कराई जाती हैं, वे निधियां विनिर्दिष्ट वन्यजीव क्षेत्रों में वन्यजीव प्रबंधन के लिए खर्च की जानी चाहिए, न कि निवल वर्तमान मूल्य से।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रकमों की बीस प्रतिशत से अनधिक रकम वन तथा वन्यजीवों से संबंधित अवसंरचना को सुदृढ़ करने राज्य निधि के उपयोग में शामिल कार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए आधुनिक पौधशालाओं और अन्य रोपण स्टॉक उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, उन्नयन और अनुरक्षण;
- (ख) पर्यासंवर्धन के परिक्षण, भूमि पशुओं और सूक्ष्मजीवों की लोक विविधता और विशिष्ट विकसित किस्मों; पालतू पशुधन और नस्लों का संरक्षण और जैवविविधता से संबंधित ज्ञान के इतिवृत्त लेखन सहित जैवीय विविधता का संरक्षण, वहनीय उपयोग और प्रलेखन;
- (ग) वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण के प्रयोजन के लिए संसूचना तथा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरणों या उपकरणों की खरीद और अनुरक्षण;
- (घ) निरीक्षण मार्गों, वन क्षेत्र में वन सड़कों, अग्नि रेखाओं, निगरानी टावरों, चेक पोस्टों और इमारती लकड़ी के डिपों का संनिर्माण, उन्नयन और अनुरक्षण;
- (ङ.) वन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए अग्रिम पंक्ति के स्टाफ के लिए वनों में आवासीय तथा कार्यालय भवनों का निर्माण;

- (च) राज्य निधि से किए जाने वाले वन और वन्यजीव के संरक्षण के कार्यों के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारिवृंद की सहायता करने के लिए स्थानीय लोगों या श्रमिकों को अनियमित रूप से लगाया जाना;
- (छ) प्रतिकरात्मक वनरोपण कार्यों, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, आवाह क्षेत्र शोधन और राज्य निधि से निष्पादित की जाने वाली वार्षिक स्कीमों को तैयार करने के लिए वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मानचित्रण;
- (ज) राज्य निधि से किए जाने वाले कार्यों की तृतीय पक्षकार निगरानी सहित कार्यों की स्वतंत्र समवर्ती निगरानी और मूल्यांकन;
- (झ) राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य निधि से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों पर प्रचार-सह-जागरूकता कार्यक्रम और प्रदर्शनी;
- (ञ) राज्य सरकार द्वारा संबर्धित सरकारी भूमि पर वनों के बाहर वृक्षों को बढ़ावा दिए जाने के लिए सहायिकी वाले मूल्य पर प्रमाणिक नर्सरी के माध्यम से गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण;
- (ट) वन प्रमाणीकरण और प्रमाणीकरण मानकों का विकास:

परन्तु यदि उपनियम (2) और (3) में निर्दिष्ट कार्यकलाप राज्य सरकार के वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में वन भूमि पर किए जाने हैं, तो उक्त कार्यकलापों को कार्यपालक स्कीम के अनुसार किए जाएंगे;

और परन्तु यह कि राज्य सरकार के राज्य वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यपालक स्कीम के अनुसार वन भूमि पर उक्त कार्यकलाप ग्राम सभा या ग्राम वन प्रबंधन समिति यथास्थिति, के परामर्श से किए जाएंगे और अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों और इसके अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों, जहां कहीं लागू हो, के अनुरूप होंगे।

परन्तु यह भी कि यदि किसी मामले में उक्त कार्यकलाप उन क्षेत्रों में किए जाते हैं, जो अनुमोदित कार्य स्कीम द्वारा शामिल नहीं किए जाते हैं तब उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित कार्यकलाप संबंधित ग्राम सभा अथवा ग्राम वन प्रबंधन समिति अथवा उस क्षेत्र पर अधिकार रखने वाले किसी प्राधिकरण के परामर्श से किया जाएगा और वे अनुसूचित जातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों और उसके अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन जहां भी लागू हो, के अनुरूप होंगे।

(4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रकम का उपयोग निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए नहीं किया जाएगा, अर्थात्:

- (क) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन, यात्रा भत्तों, चिकित्सीय व्यय आदि का भुगतान;
- (ख) विदेश दौरे करना;
- (ग) अधिकरणों अथवा न्यायालयों में फाइल किए गए मामलों, जो राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन से संबंधित नहीं हैं, का प्रतिवाद करने के लिए विधिक सेवाओं के लिए भुगतान;
- (घ) राज्य निधि से विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने के लिए राज्य वन विभाग के लिए भारी वाहनों और मशीनों और अधिकारियों के लिए वाहनों अथवा स्टाफ कार की खरीद;
- (ङ) राज्य निधि से किए गए विभिन्न वन प्रभागों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के वन रेंज, अधिकारियों से बड़े अधिकारियों के लिए आवासीय और कार्यालयी भवनों का निर्माण;
- (च) वनीकरण प्रयोजन के लिए भूमि को पट्टे पर देने, किराए पर देने और उसकी खरीद करने;

- (छ) विभिन्न वन प्रभागों में राज्य निधि से किए गए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य वन विभाग के आवासों और कार्यालयों के लिए एयर कंडीशनरों और जेनेरेटर्स सेटों सहित फर्नीचर, कार्यालय उपकरण, फिक्सचर की खरीद;
- (ज) कार्य स्कीम निर्धारण के अनुसार राजस्व सृजन के लिए वृक्षों की वाणिज्यिक कटाई द्वारा वन में सृजित खाली स्थानों में कार्य स्कीम के अनुसार अनिवार्य वनीकरण;
- (झ) ऐसी स्कीमों के प्रतिपूरक कार्यों अथवा बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए स्कीमों के आंशिक रूप से वित्त पोषण के प्रयोजन के लिए सरकार की अन्य स्कीमों के अधीन किए गए वन और वन्यजीव संरक्षण और अन्य कार्यकलापों को करने के लिए;
- (ञ) चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी की स्थापना, विस्तारण और उन्नयन।
- (ट) विद्यमान वन निगमों, बोर्डों आदि को नए वन निगमों, बोर्डों आदि को अनुदान या साम्या के जरिए वित्तीय सहयोग प्रदान करना;

स्पष्टीकरण 1.- इस नियम में निर्दिष्ट कार्यकलापों के लिए वार्षिक कार्य स्कीम तैयार करते समय -

- (क) उन गांवों में चिन्हित कार्यकलापों को करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो वन भूमि के अपवर्तन के कारण प्रभावित हुए हैं;
- (ख) उन चिन्हित कार्यकलापों को करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार की क्षमता है और स्थानीय समुदाय के लाभ के लिए समुदाय के लिए संपत्ति सृजित करता है।
- (ग) स्वदेशी पौधों की प्रजातियों का वनीकरण और वृक्षारोपण, वनों पर आश्रित स्थानीय समुदायों के साथ परामर्श करके किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 2.- निवल वर्तमान मूल्य के लिए प्राप्त रकमों को किसी अन्य बजट या पूंजी या बचे हुए कार्यों के कार्यान्वयन के अंतर्गत किन्हीं अन्य राज्य स्कीमों के साथ मिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उप नियम (2) और उन नियम (3) के अंतर्गत आरंभ किए गए कार्य एकमात्र आधार पर होंगे और विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमत्य कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

6. राज्य निधि में जमा राशि पर उपार्जित ब्याज का उपयोग.- राज्य निधि में निधियों पर प्रोद्भूत ब्याज रकम को निम्नलिखित रीति से उपयोग में लाया जाएगा।

- (क) राज्य निधि से अंतरित ब्याज का साठ प्रतिशत और उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राज्य निधि में उपलब्ध रकम पर उपार्जित ब्याज वन और वन्यजीव के संरक्षण और विकास के लिए व्यय किया जाएगा अर्थात:-
 - (i) बढी हुई मजदूरी दरों पर क्षतिपूर्ति वनीकरण और दांडिक प्रतिपूर्ति वनीकरण की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना;
 - (ii) बढी हुई मजदूरी दरों पर आवाह क्षेत्र उपचार स्कीम की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना;
 - (iii) बढी हुई मजदूरी दरों पर वन्यजीव प्रबंधन स्कीम की संवृद्धि लागत की संपूर्ति करना;
 - (iv) राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारियों, नियमित और संविदात्मक, दोनों को वेतन और भत्तों के संवितरण के लिए;
 - (v) राज्य प्राधिकरण के मनोनीत सदस्यों को बैठक फीस और भत्तों के संवितरण के लिए;
 - (vi) नियम 5 के उप-नियम (2) और (3) में निर्दिष्ट क्रियाकलाप;

- (ख) राज्य निधि से अंतरित व्याज का चालीस प्रतिशत और राज्य निधि में उपलब्ध रकम पर उपार्जित व्याज राज्य प्राधिकरण के अनावर्ती और आवर्ती व्यय के लिए खर्च किया जायेगा अर्थात्;
- (i) कार्यालय स्थापना का प्रबंधन;
- (ii) राज्य प्राधिकरण के लिए कंप्यूटरों और पेरिफेरल और उनके अनुरक्षण सहित कार्यालय उपकरण;
- (iii) राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों और पदधारियों के उपयोग के लिए स्टाफ कार किराए पर लेना;
- (iv) राज्य प्राधिकरण के कार्यालय स्थापना और आवासों के लिए पट्टे पर भवन किराए पर लेना;
- (v) राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति के अनुमोदन से राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन के लिए अन्य आकस्मिक व्यय;
- (vi) राज्य प्राधिकरण की अभिचालन समिति और वार्षिक प्रचालन स्कीम के पूर्व अनुमोदन से वनों और वन्यजीवों के प्रबंधन के लिए कोई अन्य क्रियाकलाप जिनका निर्दिष्ट उप नियम (2) और (3) में नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण : किसी भी परिस्थिति में राज्य निधि में रकम पर उपार्जित व्याज को किसी अन्य राज्य बजट में पूंजी अथवा विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा और इस नियम के अधीन किया गया कार्य अनन्य रूप के आधार पर होगा और विभिन्न घटकों के अंतर्गत अनुमत कार्यों का दोहराव नहीं किया जाएगा।

7. **राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति.-** धारा 8 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
8. **राष्ट्रीय प्राधिकरण के अधिकारियों की नियुक्ति.-** धारा 9 की उप-धारा (4) और उप-धारा (5) में यथा निर्दिष्ट अधिकारियों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अधीन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र से प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
9. **राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति.-** धारा 10 की उप-धारा (7) में निर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा पांच वर्ष तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
10. **राज्य प्राधिकरण के अधिकारियों की नियुक्ति.-** धारा 11 की उप-धारा (4) और उप-धारा (5) में यथा निर्दिष्ट अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया जाएगा।
11. **अधिकारियों का वेतन और भत्ते.-** नियम 7, 8, 9 और 10 में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' के समतुल्य अधिकारियों को दिए जाते हैं।
12. **अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन और भत्ते.-** धारा 9 की उप धारा (5) और धारा 11 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों, जिन्हें प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किया गया है, वे ऐसा वेतन और भत्ते पाने के हकदार होंगे जो मामले के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के समूह 'ख' अथवा 'ग' के समतुल्य अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वीकार्य होते हैं;
13. **संविदा पर नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते.-** धारा 9 की उप-धारा (5) और 11 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट और संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्तों के हकदार होंगे जैसा उनके संविदा में विनिर्दिष्ट हैं।

14. **गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक फीस और भत्ते.-** (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों को ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए तथा किसी अन्य कार्य, जो उन्हें दिया गया है या जैसा कि उनके नियुक्ति आदेश में वर्णित किया गया है, के लिए उन्हें बैठक फीस और भत्तों का भुगतान किया जाएगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों को दी जाने वाली बैठक फीस और भत्तों का भुगतान धारा 5 के खंड (ख) के उप-खंड (i) में यथा प्रदत्त राष्ट्रीय कोष से किया जाएगा।
- (3) उप-नियम (1) में यथानिर्दिष्ट राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों को दी जाने वाली बैठक फीस और भत्तों का भुगतान धारा 6 के खंड (क) में निर्दिष्ट ब्याज से किया जाएगा।
15. **राष्ट्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों का चयन.-** (1) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों से और संघ राज्यक्षेत्र सरकार के प्रशासन से राष्ट्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन प्राप्त करेगा।
- (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट मंत्रालय अथवा विभाग पूर्ण प्रत्यय-पत्र सहित गैर-सरकारी सदस्यों के नामों को केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ अग्रेषित करेगा।
- (3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य भारत का नागरिक होंगे तथा जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो अथवा किसी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठन, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में संबंधित क्षेत्र में दस वर्षों का कार्य का अनुभव होगा।
- (4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य नहीं होंगे;

परंतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामित सदस्यों को राष्ट्रीय प्राधिकरण की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव के लिए छूट दी जा सकेगी।

16. **राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों का चयन -** (1) राज्य सरकार का वन से संबंधित कार्य देख रहा विभाग, राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए राज्य सरकार, अथवा संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के विभिन्न विभागों से नामांकन प्राप्त करेगा।
- (2) राज्य सरकार के विभाग, राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र के जिला प्रशासन, वनों का कार्य देख रहे राज्य सरकार के विभाग को राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के लिए नाम पूर्ण प्रत्यय पत्र सहित विचार करने के लिए अग्रेषित करेंगे।
- (3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य भारत का नागरिक होंगे तथा जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो अथवा किसी केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, गैर-सरकारी संगठन, मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में संबंधित क्षेत्र में दस वर्षों का कार्य का अनुभव होगा।
- (4) उप नियम (1) में निर्दिष्ट गैर-सरकारी सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए;

परंतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नामित सदस्य को राज्य प्राधिकरण की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव के लिए छूट दी जा सकेगी।

17. **चयन समिति :-** (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के पैनल को तैयार करने के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी, अर्थात् :
- (i) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार -अध्यक्ष
- (ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय से एक सचिव -सदस्य

- | | |
|--|-------------|
| (iii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित राज्य सरकार से एक मुख्य सचिव | -सदस्य |
| (iv) वन महानिदेशक और विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार | -सदस्य |
| (v) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अपर वन महानिदेशक (वन संरक्षण) | -सदस्य |
| (vi) अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार | -सदस्य |
| (vii) राष्ट्रीय प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी | -सदस्य सचिव |

(2) राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों के पैनल को तैयार करने के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी, अर्थात् :

- | | |
|--|-------------|
| (i) राज्य का मुख्य सचिव | अध्यक्ष |
| (ii) राज्य वन विभाग का अपर मुख्य सचिव या प्रभारी प्रधान सचिव | -सदस्य |
| (iii) राज्य सरकार द्वारा नामित एक अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव | -सदस्य |
| (iv) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल का अध्यक्ष) | -सदस्य |
| (v) राज्य का मुख्य वन्यजीव बोर्डन | -सदस्य |
| (vi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय का अध्यक्ष | -सदस्य |
| (vii) राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी | -सदस्य-सचिव |

18. राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्यों की अपात्रता

- (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण के गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति अपात्र होगा, यदि वह -
- (i) जो ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध हुआ है और कैद की सजा हुई है जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में, यथास्थिति, नैतिक अधमता शामिल है; अथवा
 - (ii) अमुक्त दिवालिया है; अथवा
 - (iii) विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो; अथवा
 - (iv) सरकारी अथवा सरकार के अधिकार में अन्य संगठन या उपक्रम की सेवा से निकाला गया हो अथवा पदच्युत कर दिया गया हो; अथवा
 - (v) जिसका, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्यसरकार की राज्य में यथास्थिति, राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण में ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित हो, यथास्थिति, जिससे एक सदस्य के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य प्रभावित होने की संभावना हो।
- (2) इस धारा के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई निकासी का आदेश जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उस दोष के लिए कारण बताओ नोटिस का उपयुक्त अवसर न दिया गया हो।

- (3) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अंतर्गत हटाया गया सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामांकन का पात्र नहीं होगा।
- (4) यदि राष्ट्रीय प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण का गैर सरकारी सदस्य उप नियम (1) में निर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी एक का भी पात्र हो जाता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा।
19. **राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय, कार्यपालक समिति और निगरानी समूह की बैठक :-** (1) राष्ट्रीय प्राधिकरण का शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के सदस्य सचिव के परामर्श से इसके नियत की गई तारीख और समय पर सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में निर्दिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगा।
- (2) राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यपालक समिति की बैठक ऐसी तारीख को और ऐसे स्थान पर, जो अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित हो, कार्यपालक समिति के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके आयोजित की जाएगी जिसमें सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में सूचीबद्ध मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
- (3) राष्ट्रीय प्राधिकरण के निगरानी समूह की बैठक ऐसी तारीख को और ऐसे स्थान पर, जो महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित हो।
20. **बैठक की सूचना-** शासी निकाय या कार्यपालक समिति या निगरानी समूह की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों को पांच दिन पहले स्पष्ट सूचना दी जाएगी, जिनमें पोस्टिंग की तारीख और बैठक की तारीख को शामिल नहीं किया जाएगा: परंतु अत्यावश्यकता मामले में राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय, कार्यपालक समिति और निगरानी समूह, यथास्थिति, का सदस्य-सचिव संबंधित निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से अल्पकालिक सूचना देकर बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगा।
21. **बैठक का गणपूर्ति-** शासी निकाय या कार्यपालक समिति या निगरानी समूह, यथास्थिति, की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित आधे सदस्यों से गणपूर्ति पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उच्चतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।
22. **बैठक का स्थगन-** जहां बैठक के आरंभ के लिए सूचित समय के तीस मिनट के भीतर गणपूर्ति के अनुसार सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो, बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिवस, समय और स्थान के लिए स्थगित माना जाएगा तथा स्थगित की गई बैठक में उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति पूरा होगा।
23. **बैठक में निर्णय-** बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे।
24. **अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्षता-** राष्ट्रीय प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में समिति द्वारा निर्णीत समिति के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।
25. **राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय, अभिचालन समिति और कार्यपालक समिति की बैठकें -** (1) सदस्य सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में निर्दिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के शासी निकाय की बैठक ऐसी तारीख को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय के सदस्य सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो।
- (2) सदस्य-सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में निर्दिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के अभिचालन समिति की बैठक ऐसी तारीख को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा अभिचालन समिति के सदस्य-सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो।
- (3) सदस्य-सचिव द्वारा तैयार की गई कार्यसूची में निर्दिष्ट मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य प्राधिकरण के कार्यपालक समिति की बैठक ऐसी तारीख को और ऐसे स्थान पर आयोजित होगी, जो अध्यक्ष द्वारा कार्यपालक समिति के सदस्य-सचिव के साथ परामर्श करके निर्णीत हो।

26. **बैठक की सूचना-** शासी निकाय, परिचालन समिति या कार्यपालक समिति या निगरानी समूह की किसी भी बैठक के लिए सदस्यों को पांच दिन पहले स्पष्ट सूचना दी जाएगी, जिनमें तैनाती की तारीख और बैठक की तारीख को शामिल नहीं किया जाएगा:
- परंतु अत्यावश्यक मामले में राष्ट्रीय प्राधिकरण के शासी निकाय, कार्यपालक समिति और निगरानी समूह, यथास्थिति, का सदस्य सचिव संबंधित निकाय के अध्यक्ष के अनुमोदन से अल्पकालिक सूचना देकर बैठक बुलाने के लिए सक्षम होगा।
27. **बैठक की गणपूर्ति-** शासी निकाय, परिचालन समिति या कार्यपालक समिति या निगरानी समूह, यथास्थिति, की किसी भी बैठक में अध्यक्ष सहित आधे सदस्यों से गणपूर्ति पूरा होगा और किसी भिन्न संख्या को अगली उच्चतर संख्या में पूर्ण कर दिया जाएगा।
28. **बैठक का स्थगन-** जहां बैठक के आरंभ के लिए सूचित समय के तीस मिनट के भीतर गणपूर्ति के अनुसार सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो, बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिवस, समय और स्थान के लिए स्थगित माना जाएगा तथा स्थगित की गई बैठक में उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति पूरा होगा।
29. **बैठक में निर्णय-** बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से निर्णय लिए जाएंगे।
30. **अध्यक्ष आदि द्वारा बैठक की अध्यक्षता-** राज्य प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक में अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में समिति द्वारा निर्णीत समिति के किसी सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी।
31. **राष्ट्रीय प्राधिकरण का वित्तीय विनियमन और प्रक्रियाएं-** वित्तीय विनियमन और प्रक्रियाएं, विशेष रूप से राष्ट्रीय प्राधिकरण के बजट की तैयारी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया, साधारण वित्तीय नियम, 2017 और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार होंगी।
32. **राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना :** राष्ट्रीय प्राधिकरण, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट को राष्ट्रीय प्राधिकरण की आकलित प्राप्ति और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित राष्ट्रीय प्राधिकरण की विभिन्न स्कीमों सहित वार्षिक प्रचालन स्कीम के आधार पर प्ररूप-1 में राष्ट्रीय प्राधिकरण की आकलित प्राप्ति और व्यय को दर्शाते हुए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक इसे केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।
33. **राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना :** प्राप्ति तथा भुगतान और व्यय के लिए लेखों का मासिक विवरण प्ररूप-2 में तैयार किया जाएगा, राष्ट्रीय प्राधिकरण के वार्षिक लेखा विवरण को प्ररूप-3 में तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय प्राधिकरण, प्ररूप-4 में यथा निर्दिष्ट अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।
34. **वार्षिक रिपोर्ट :** राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को भिन्न शीर्षकों और भिन्न अध्यायों में समेकन के साथ राष्ट्रीय निधि से आरम्भ किए गए सभी कार्यकलापों का सार वर्णन देते हुए तैयार किया जाएगा तथा रिपोर्ट में किए गए कार्यों तथा वार्षिक प्रचालन स्कीम में तैयार और अनुमोदित स्कीमों का सार शामिल होगा तथा वार्षिक रिपोर्ट प्ररूप-5 में दी जाएगी।
35. **राज्य प्राधिकरण का वित्तीय विनियमन और क्रियाविधियां :** वित्तीय विनियमन और क्रियाविधियां, विशेष रूप से राज्य प्राधिकरण के बजट को तैयार करने और उसके कार्यान्वयन संबंधी क्रियाविधियां, साधारण वित्तीय नियम 2017 तथा इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होंगी।
36. **राज्य प्राधिकरण द्वारा बजट को तैयार करना :** राज्य प्राधिकरण, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट को राज्य प्राधिकरण की आकलित प्राप्ति और व्यय को दर्शाते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए शासी निकाय द्वारा तैयार और अनुमोदित वार्षिक प्रचालन स्कीम के आधार पर प्ररूप-6 में राज्य प्राधिकरण की आकलित प्राप्ति और व्यय को दर्शाते हुए तैयार करेगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक इसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को अग्रेषित करेगा।

37. **राज्य प्राधिकरण द्वारा लेखों का रखरखाव और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना :** मासिक लेखा विवरण प्ररूप-7 में तैयार किया जाएगा; राज्य प्राधिकरण की वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों संबंधी मासिक विवरण प्ररूप-8 में और राज्य प्राधिकरण का वार्षिक लेखा विवरण प्ररूप-9 में तैयार किया जाएगा तथा राज्य प्राधिकरण, प्ररूप-10 में अपने अभिलेखों और लेखों का रखरखाव करेगा।
38. **वार्षिक रिपोर्ट :** राज्य प्राधिकरण द्वारा वार्षिक रिपोर्ट को भिन्न शीषकों और भिन्न अध्यायों में समेकन के साथ राज्य निधि से आरम्भ किए गए सभी कार्यकलापों का सार वर्णन देते हुए तैयार किया जाएगा तथा रिपोर्ट में किए गए कार्यों तथा वार्षिक प्रचालन स्कीम में तैयार और अनुमोदित स्कीमों का सार शामिल होगा तथा वार्षिक रिपोर्ट के प्ररूप-11 में विवरण शामिल होगा।
39. **राज्य प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन स्कीम :** राज्य प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन स्कीम को प्ररूप-12 में तैयार किया जाएगा और राज्य प्राधिकरण द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर से पहले इसे राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।

प्ररूप-1**वित्तीय वर्ष-----के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का वार्षिक बजट प्रस्ताव-----****[नियम 32 देखें]**

1	2	3	4
क्र.स.	विवरण	वर्तमान वित्तीय वर्ष (रुपयों में)	विगत वित्तीय वर्ष (रुपयों में)
1	क. 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार तदर्थ प्राधिकरण से प्राप्त निधियों का आरंभिक अतिशेष		
	ख. 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार राज्य प्राधिकरण से प्राप्त निधियों का आरंभिक अतिशेष		
	ग. 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार प्राप्त उधार/अनुदानों का आरंभिक अतिशेष		
2	राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास उपलब्ध कुल निधियां (1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार) (1+2)		
3. (i)	राष्ट्रीय निधि में से राष्ट्रीय प्राधिकरण का वार्षिक व्यय		
	क. आवर्ती प्रबंधन व्यय		
	i. कार्मिक सेवाएं और लाभ		
	ii. प्रशासनिक व्यय		
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	iv. कोई अन्य व्यय		
	ख. अनावर्ती प्रबंधन व्यय जैसे पूंजीगत आस्तियों का सृजन		
	ग. चालू स्कीमों पर व्यय		
	घ. नई स्कीमों पर व्यय		
	ङ. निगरानी और मूल्यांकन व्यय		
3. (ii)	अनुदानों/उधार इत्यादि से कुल अनुमानित व्यय		
4. (i)	अनुमानित सकल कुल व्यय {3(i) + 3(ii)}		
(ii)	तदर्थ प्राधिकरण से प्राप्त निधियों में से राज्य प्राधिकरण को किये जाने वाले अनुमानित भुगतान		
5	राष्ट्रीय प्राधिकरण के पास कुल अंतिम अतिशेष		
	क. तदर्थ प्राधिकरण से प्राप्त निधियों का अंतिम अतिशेष		
	ख. राज्य प्राधिकरण से प्राप्त में से अंतिम अतिशेष		
	ग. अनुदानों/ऋणों इत्यादि का अंतिम अतिशेष		

घोषणा

ऊपर निर्दिष्ट अनुसार बजट प्रस्ताव, राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया गया है।

तारीख :

सदस्य-सचिव
राष्ट्रीय प्राधिकरण

प्ररूप-2

प्राप्ति और भुगतान/व्यय के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखाओं का मासिक विवरण मास----- वित्तीय वर्ष-----

[नियम 33 देखें]

1	2	3	4	5
क्र.सं.	शीर्ष	वर्तमान मास (रुपयों में)	गत मास (रुपयों में)	इस मास तक संचयी रकम (रुपयों में)
I	राष्ट्रीय निधि का कुल आरम्भिक अतिशेष (क+ख+ग+घ)			
क.	तदर्थ प्राधिकरण के 10% भाग से राष्ट्रीय निधि की मूलधन राशि का आरम्भिक अतिशेष			
ख.	राष्ट्रीय निधि को राज्य निधि द्वारा प्राप्त 10% भाग का आरम्भिक अतिशेष रकम			
ग	राष्ट्रीय निधि को प्रोदभूत ब्याज की आरम्भिक अतिशेष रकम			
घ	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा खर्च न किए गए अनुदान, ऋण इत्यादि की आरम्भिक अतिशेष रकम			
II	तदर्थ प्राधिकरण के अधीन राज्य निधि के भाग की आरम्भिक अतिशेष रकम, जो अभी राष्ट्रीय निधि के पास पड़ी है (क+ख)			
क	राज्य निधि को सदैव तदर्थ प्राधिकरण के 90% भाग की आरम्भिक अतिशेष रकम, जो अभी राष्ट्रीय निधि के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
ख	राज्य निधि को सदैव तदर्थ प्राधिकरण के 90% भाग पर ब्याज की आरम्भिक अतिशेष रकम, जो अभी राष्ट्रीय निधि के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
III	वर्ष के दौरान राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्त कुल रकम (क+ख)			
क	राष्ट्रीय निधि को प्रोदभूत ब्याज की रकम			
	i. तदर्थ प्राधिकरण तथा अधिनियम के अधीन के 10% भाग से राष्ट्रीय निधि को प्रोदभूत ब्याज की रकम			
	ii. तदर्थ प्राधिकरण के 90% भाग से राष्ट्रीय निधि को प्रोदभूत ब्याज की रकम, जो अभी राष्ट्रीय निधि द्वारा राज्य निधि को अंतरित नहीं की गई है			
ख	राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्त रकम (तदर्थ प्राधिकरण के अतिरिक्त) (i+ii)			
	i. राज्य निधि से प्राप्त निधियां (राष्ट्रीय निधि के 10% भाग के रूप में)			
	ii. प्राप्त अनुदानों, ऋणों इत्यादि की रकम			
IV	अधिनियम के अधीन राज्यों द्वारा संग्रहित राष्ट्रीय निधि के 10% भाग की रकम, उस पर ब्याज सहित और जो राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित न की गई हो (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
V	तदर्थ प्राधिकरण से राष्ट्रीय निधि द्वारा राज्य निधि को कुल भुगतान (क+ख)			
क	राष्ट्रीय निधि द्वारा राज्य निधि को भुगतान (तदर्थ प्राधिकरण के 90% भाग में से) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			
	1. प्रतिकरात्मक वनरोपण			
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण			
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण			
	4. निवल वर्तमान मूल्य			
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य			
	6. जलागम क्षेत्र शोधन प्रभार			
	7. वन्यजीव संरक्षण स्कीम प्रभार			
	8. सुरक्षा जोन शोधन प्रभार			
	9. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)			
ख	तदर्थ प्राधिकरण पर प्रोदभूत ब्याज में से राष्ट्रीय निधि द्वारा राज्य निधि को संदाय			
VI	मूलधन और ब्याज की रकम में से वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा किया गया कुल व्यय (क+ख)			
(क)	प्रशासनिक व्यय (i+ii+iii+iv+v+vi)			
	i. कार्मिक सेवाएं और फायदा			
	ii. प्रशासनिक व्यय			
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय			
	iv. निगरानी और मूल्यांकन व्यय			
	v. अन्य प्रशासनिक व्यय			

	vi. अनावर्ती प्रबंधन व्यय जैसे पूंजीगत आस्तियों का सृजन			
(ब)	स्कीमों पर व्यय (I+II+III)			
	i. चालू स्कीमों पर व्यय			
	ii. नई स्कीमों पर व्यय			
	iii. अन्य			
VII	राष्ट्रीय निधि का कुल अंतिम अवशेष (क+ख+ग+घ)			
	क. राष्ट्रीय निधि की मूलधन रकम का अंतिम अतिशेष (तदर्थ प्राधिकरण का 10% भाग)			
	ख. अधिनियम के अधीन राज्य निधि से राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्त 10% भाग का अंतिम अतिशेष रकम			
	ग. राष्ट्रीय निधि को प्रोदभूत ब्याज की अंतिम अतिशेष रकम			
	घ. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों इत्यादि की अंतिम अतिशेष रकम			
VIII	क. राज्य निधि को संदेय, तदर्थ प्राधिकरण के 90% भाग की अंतिम अतिशेष रकम जो अभी राष्ट्रीय निधि के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			
	ख. राज्य निधि को संदेय, तदर्थ प्राधिकरण के 90% भाग पर ब्याज की अंतिम अतिशेष रकम, जो अभी राष्ट्रीय निधि के पास पड़ी है (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)			

घोषणा

उपर्युक्त रिपोर्ट को सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।
तारीख :

हस्ताक्षर

सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण

प्ररूप-3

वित्तीय वर्ष ----- के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के लेखा का वार्षिक विवरण
[नियम 33 देखें]

31 मार्चकी स्थिति के अनुसार

1	2	3	4
क्र.सं.	विवरण	चालू वित्तीय वर्ष (रुपए में)	पिछला वित्तीय वर्ष (रुपए में)
I.	राष्ट्रीय निधि का कुल आरंभिक अतिशेष (क + ख + ग + घ + ङ. + च)		
क.	राष्ट्रीय निधि की मूल राशि का आरंभिक अतिशेष (तदर्थ प्राधिकरण का 10% हिस्सा)		
ख.	अधिनियम के अधीन राज्य निधि से राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्त 10% हिस्से की एक आरंभिक अतिशेष रकम		
ग.	राष्ट्रीय निधि से प्राप्त ब्याज की आरंभिक अतिशेष रकम (तदर्थ प्राधिकरण और अधिनियम के अधीन)		
घ.	राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की आरंभिक अतिशेष रकम		
ङ.	राष्ट्रीय निधि के पास अभी तक पड़े हुए राज्य निधि को संदेय तदर्थ प्राधिकरण के 90% हिस्से की आरंभिक अतिशेष रकम (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)		
च.	राष्ट्रीय निधि के पास अभी तक पड़े हुए राज्य निधि को संदेय तदर्थ प्राधिकरण के 90% हिस्से पर ब्याज की आरंभिक अतिशेष रकम (राज्यों के नामों का उल्लेख करें)		
II.	राज्य निधि की कुल आरंभिक अतिशेष रकम (क + ख + ग + घ)		
क.	व्यय के बाद सभी राज्यों की मूल रकम के संघटकवार आरंभिक अतिशेष (तदर्थ प्राधिकरण का		

	90% हिस्सा) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	1. प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	2. अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	3. दण्डात्मक प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	4. शुद्ध वर्तमान मूल्य		
	5. दण्डात्मक शुद्ध वर्तमान मूल्य		
	6. जलागम क्षेत्र शोधन प्रभार		
	7. वन्यजीव संरक्षण स्कीम प्रभार		
	8. सुरक्षा क्षेत्र शोधन प्रभार		
	9. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
ख.	राज्य निधि द्वारा प्राप्त ब्याज की आरंभिक अतिशेष रकम (तदर्थ प्राधिकरण और अधिनियम के अधीन जमा, दोनों पर)		
ग.	राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की आरंभिक अतिशेष रकम		
घ.	राज्यों द्वारा अधिनियम के अधीन एकत्र किए गए और राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित न किए गए राष्ट्रीय निधि के 10% हिस्से की आरंभिक अतिशेष रकम		
III.	वर्ष के दौरान राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्त कुल रकम (क+ख)		
क.	राष्ट्रीय निधि के लिए अर्जित ब्याज की रकम		
	i. तदर्थ प्राधिकरण के 10% हिस्से में से राष्ट्रीय निधि को अर्जित ब्याज की रकम		
	ii. तदर्थ प्राधिकरण के 90% हिस्से से राष्ट्रीय निधि को अर्जित ब्याज की रकम, जो अभी भी राष्ट्रीय निधि द्वारा राज्य निधि को हस्तांतरित नहीं की गई है		
ख.	राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्ति की रकम (तदर्थ प्राधिकरण के अतिरिक्त) (i+ii)		
	i. अधिनियम के अधीन राज्य निधि से निधियों की प्राप्ति (राष्ट्रीय निधि के हिस्से के रूप में 10%)		
	ii. प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की रकम		
IV	अधिनियम के अधीन राज्य निधि द्वारा प्राप्त, राष्ट्रीय निधि की बकाया देय रकम		
	i. राज्यों द्वारा एकत्र किए गए अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय निधि के 10% हिस्से की रकम, जिसे राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित नहीं किया गया है (राज्यों के नाम का उल्लेख करें)		
	ii. राज्य निधि के लिए अर्जित ब्याज की रकम (बकाया राष्ट्रीय निधि के 10% हिस्से पर, जिसे राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित नहीं किया गया है)		
V	वर्ष के दौरान राज्य निधि द्वारा प्राप्त कुल रकम (क + ख)		
क.	राज्य निधि के लिए अर्जित ब्याज की रकम (राज्य निधि जमा पर)		
ख.	राज्य निधि द्वारा प्राप्त रकम (तदर्थ प्राधिकरण के अतिरिक्त) (i + ii)		
	i. राज्य निधि द्वारा निधियों की प्राप्ति (अधिनियम के अधीन राज्य निधि के हिस्से के रूप में 90%)		
	ii. राज्य निधि द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की रकम		
VI	तदर्थ प्राधिकरण में से राज्य निधि को राष्ट्रीय निधि द्वारा कुल संदाय (क + ख)		
क.	राज्य निधि को राष्ट्रीय निधि द्वारा भुगतान (तदर्थ प्राधिकरण के 90% में से) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	1. प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	2. अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण		

	3. दाण्डिक प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	4. शुद्ध वर्तमान मूल्य		
	5. दाण्डिक शुद्ध वर्तमान मूल्य		
	6. जलागम क्षेत्र शोधन प्रभार		
	7. वन्यजीव संरक्षण स्कीम प्रभार		
	8. सुरक्षा क्षेत्र शोधन प्रभार		
	9. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		
ख.	तदर्थ प्राधिकरण के अर्जित ब्याज में से राज्य निधि को राष्ट्रीय निधि द्वारा संदाय		
VII	मूलधन और ब्याज की रकम में से वर्ष के दौरान राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कुल व्यय (क + ख)		
(क)	प्रशासनिक व्यय (i + ii + iii + iv + v + vi)		
	i. कार्मिक सेवाएं और फायदा		
	ii. प्रशासनिक व्यय		
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	iv. निगरानी और मूल्यांकन व्यय		
	v. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	vi. गैर आवर्ती प्रबंधन व्यय जैसे पूंजीगत आस्तियों का सृजन		
(ख)	स्कीमों पर व्यय (i + ii + iii)		
	i. चालू स्कीमों पर व्यय		
	ii. नई स्कीमों पर व्यय		
	iii. अन्य		
VIII	राज्य निधि द्वारा कुल व्यय (i + ii)		
	i. तदर्थ प्राधिकरण में से राज्य निधि द्वारा कुल व्यय		
	ii. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य निधि द्वारा कुल व्यय		
IX	राष्ट्रीय निधि की कुल अन्तिम अतिशेष रकम (क + ख + ग + घ + ङ. + च)		
	क. राष्ट्रीय निधि की मूल रकम का अन्तिम अतिशेष (तदर्थ प्राधिकरण का 10% हिस्सा)		
	ख. अधिनियम के अन्तर्गत राज्य निधि से राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्त 10% हिस्से की अन्तिम अतिशेष रकम		
	ग. राष्ट्रीय निधि द्वारा प्राप्त ब्याज की अन्तिम अतिशेष रकम		
	घ. राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की अन्तिम अतिशेष रकम		
	ङ. राज्य निधि को संदेय तदर्थ प्राधिकरण के 90% हिस्से की अन्तिम अतिशेष रकम, जो अभी भी राष्ट्रीय निधि के पास है (राज्यों के नाम का उल्लेख करें) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	1. प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	2. अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	3. दाण्डिक प्रतिकरात्मक वनरोपण		
	4. शुद्ध वर्तमान मूल्य		
	5. दाण्डिक शुद्ध वर्तमान मूल्य		
	6. जलागम क्षेत्र शोधन प्रभार		
	7. वन्यजीव संरक्षण स्कीम प्रभार		
	8. सुरक्षा जोन शोधन प्रभार		
	9. अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)		

	च. राज्य निधि को संदेय तदर्थ प्राधिकरण के 90% हिस्से पर ब्याज की की अन्तिम अतिशेष रकम जो अभी भी राष्ट्रीय निधि के पास है (राज्यों के नाम का उल्लेख करें)		
X	राज्य निधि की कुल अन्तिम अतिशेष रकम (क + ख + ग + घ)		
	क. व्यय के बाद सभी राज्यों की संघटकवार मूल रकम का अन्तिम अतिशेष (तदर्थ प्राधिकरण का 90% हिस्सा) (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)		
	ख. राज्य निधि द्वारा प्राप्त ब्याज की अन्तिम अतिशेष रकम (तदर्थ प्राधिकरण पर और अधिनियम के अन्तर्गत, दोनों)		
	ग. राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि का अन्तिम अतिशेष		
	घ. अधिनियम के अधीन राज्यों द्वारा एकत्रित और ब्याज सहित राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित न किए गए राष्ट्रीय निधि के 10% हिस्से की अन्तिम अतिशेष रकम		
XI	राज्यों से राष्ट्रीय निधि की बकाया देय राशि के संचयी आंकड़े (अधिनियम के अधीन राज्यों द्वारा एकत्रित और ब्याज सहित राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित न किए गए राष्ट्रीय निधि के 10% हिस्से में से)		

घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट को सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की गई है।
तारीख:

हस्ताक्षर

सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण

प्ररूप-4

राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और खाते

[देखें नियम 33]

निम्नलिखित खाते / अभिलेख रखे जाएंगे :

1. रोकड़ बही, खाता, जर्नल, लोक-निधि लेखा रजिस्टर
2. स्टॉक रजिस्टर, स्थिर आस्ति रजिस्टर
3. खातों के शीर्षों द्वारा व्यय को दर्शाने वाले रजिस्टर
4. मासिक वित्तीय लेखा विवरण और वास्तविक परिणाम
5. तिमाही निगरानी रजिस्टर
6. एससीएएफ से एनसीएएफ के वार्षिक हिस्से के लिए रजिस्टर (राज्यवार)
7. अनुदानों/ऋणों आदि का रजिस्टर
8. स्कीम के फायदाग्राहियों के लिए जारी निधियों के विवरण सहित राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और निष्पादित स्कीमों का अभिलेख

प्ररूप-5

तारीख 31 मार्च, 20 --- को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण का लेखा विवरण

[नियम 34 देखें]

(अन्य अनुदानों / ऋणों आदि के लिए अलग-अलग प्रपत्र जमा किए जाने हैं)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	शीर्ष	वार्षिक प्रचालन कार्य योजना में यथा अनुमोदित वास्तविक परिणाम (इकाइयों में)	वर्ष के दौरान यथार्थ वास्तविक उपलब्धि (इकाइयों में)	आज की तारीख तक संचयी वास्तविक उपलब्धि (इकाइयों में)	वर्ष के दौरान बजट आवंटन (रुपए में)	व्यय की गई वास्तविक रकम (रुपये में)	आज की तारीख तक संचयी रकम (रुपए में)
I	स्कीमें						
	क. चल रही स्कीमें						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
	v.						
	ख. नई स्कीमें						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
	v.						
	ग. अन्य (निर्दिष्ट करें)						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
		बजट आवंटन (रुपए में)	वर्ष के दौरान व्यय की गई वास्तविक रकम (रुपये में)	पिछले वर्ष के दौरान व्यय की गई वास्तविक धनराशि (रुपए में)	टिप्पणियां		
।।क.	प्रशासनिक प्रभार्य *						
ख.	अन्य प्रशासनिक व्यय *						
ग.	अन्य *						
।।।	निगरानी और मूल्यांकन						
	क. वार्षिक लेखा परीक्षा						
	ख. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा						
	ग. ई-ग्रीन बॉन्ड परिणाम						
	घ. तृतीय पक्ष निगरानी						

घोषणा :

उपरोक्त रिपोर्ट सत्यापित कर ली गई है और सही पाई गई है। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राष्ट्रीय प्राधिकरण

टिप्पण : II क* प्रशासनिक प्रभारों में सम्मिलित हैं- कर्मचारियों का वेतन और मजदूरियां, वेतन और भत्ते, अतिकालिक भत्ते, पेंशन संबंधी प्रभार, चिकित्सा उपचार, प्रशासनिक व्यय, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा, कार्यालय व्यय, इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत, जल प्रभार, किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित) खरीद-फरोख्त, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) सहित स्टाफ कार की खरीद और रखरखाव।

II ख* अन्य प्रशासनिक प्रभारों में सम्मिलित हैं- राष्ट्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक फीस और ग्राह्य भत्ते, सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशालाओं आदि पर व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रचार, गौण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य संविदा सेवाएं।

III ग* अन्य में सम्मिलित हैं, हुलाई और आवक हुलाई प्रभार (स्थिर आस्तियों/अनावर्ती मदों की खरीद पर), मुद्रण और प्रकाशन (शैक्षिक से भिन्न) अंशदान व्यय (शैक्षिक से भिन्न), राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूंजी आस्ति का सृजन जैसे, अनावर्ती प्रबंधन व्यय, कोई अन्य व्यय।

प्ररूप-6

वित्त वर्ष के लिए राज्य प्राधिकरण का वार्षिक बजट प्रस्ताव

वार्षिक प्रचालन योजना के साथ प्रस्तुत

[दिखें नियम 35]

क्र.सं.	विवरण	चालू वित्त वर्ष (रु. में)	गत वित्त वर्ष (रु. में)
1.	क 1 अप्रैल को राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त अथशेष निधि		
	ख 1 अप्रैल को यथा प्राप्त ऋण/अनुदान आदि का आरंभिक अविशेष		
2.	राज्य प्राधिकरण की अनुमानित वार्षिक प्राप्ति		
	(क) प्रयोक्ता अभिकरणों से राज्य प्राधिकरणों द्वारा निधि की प्राप्ति		
	(ख) राज्य निधि पर उपाजित व्याज की प्राप्ति		
	(ग) राज्य प्राधिकरण के अनुदान/ऋण/अन्य की प्राप्ति		
	(घ) कोई अन्य आय		
3.	राज्य प्राधिकरण के पास उपलब्ध कुल अनुमानित निधि (1 अप्रैल को) (1+2)		
4.(i)	राज्य प्राधिकरण का प्रस्तावित वार्षिक व्यय		
	राज्य निधि में से नियम 6 के अधीन व्याज (निर्दिष्ट) से आरंभ की जाने वाली गतिविध		
	आवर्ती प्रबंधन व्यय		
	i. कार्मिक सेवाएं और फायदा		
	ii. प्रशासनिक व्यय		
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय		
	iv. कोई अन्य व्यय		
	नियम (5) के अधीन शुद्ध चालू मूल्य से आरंभ की जाने वाली गतिविधियां		
	क. पूंजी आस्ति के सृजन जैसे अनावर्ती प्रबंधन व्यय		
	ख. वनरोपण और अन्य अनुमेय कार्यकलाप		
	ग. चालू कार्यों पर व्यय		
	घ. नए कार्यों पर व्यय		
ड. अनुवीक्षण और मूल्यांकन व्यय			
4(ii)	क्षतिपूर्ति वनरोपण कार्य		
4(iii)	आवाह क्षेत्र उपचार कार्य		
4(iv)	वन्यजीव प्रबंधन कार्य		
4(v)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
4(vi)	अनुदानों/ऋणों आदि में से कुल अनुमानित व्यय		
5(i)	अनुमानित सकल कुल व्यय {4(i)+4(ii)+4(iii)+4(iv)+4(v)+4(vi)}		
(ii)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त निधियों में से राष्ट्रीय प्राधिकरणों को अनुमानित संदाय		
6.	राज्य प्राधिकरण के पास कुल अंतिम अतिशेष		
	क राष्ट्रीय प्राधिकरण से प्राप्त निधियों का अंतिम अतिशेष		

	ख. प्रयोक्ता अभिकरणों से प्राप्ति में से अंतिम अतिशेष		
	ग. अनुदानों/ऋणों आदि का अंश		

घोषणा

उपरोक्त बजट प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित और अंगीकृत किया गया है।

तारीख:

सदस्य-सचिव
राज्य प्राधिकरण

टिप्पण-1: विचाराधीन वर्ष के लिए बजट अनुमान (क्रमांक 1, 2 और 3 में उल्लिखित) के प्रयोजन के लिए प्रारंभिक शेष पूर्व वर्ष 1 अप्रैल के अनुसार उपलब्ध निधि है।

टिप्पण-2* कार्मिक सेवा और फायदा में सम्मिलित हैं- कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी भुगतान और भत्ते, यात्रा भत्ते, अतिकालिक भत्ते, पेंशन संबंधी प्रकार, चिकित्सा उपचार आदि।

टिप्पण-2** प्रशासनिक व्यय में सम्मिलित हैं- राज्य प्राधिकरण के लिए कार्यालय व्यय, इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत, जल प्रभार, किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित) पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) सहित स्टाफ कार की खरीद फरोखत।

टिप्पणी-3*** अन्य प्रशासनिक व्यय में ये सम्मिलित हैं - राष्ट्रीय प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक फीस और ग्राह्य भत्ते, सम्मेलन, संगोष्ठी कार्यशाला आदि पर व्यय प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रचार, लघु निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं, अन्य संविदात्मक सेवाएं।

प्ररूप-7

_____ माह के लिए राज्य प्राधिकरण का मासिक विवरण/लेखा

[कृपया नियम 37 देखें]

I.	राज्य निधियों का कुल आरंभिक अतिशेष (क+ख+ग+घ)	तदर्थ प्राधिकरण के अधीन राज्य निधि के 90% अंश में से	अधिनियम के अधीन राज्य निधि के 90% अंश में से	वर्तमान मास (रु. में)	गत मास (रु. में)	इस माह तक संचयी धनराशि (रु. में)
क.	घटक-वार मूल रकम का आरंभिक अतिशेष (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. प्रतिकरात्मक वनरोपण					
	2. अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण					
	3. द्वांदिक प्रतिकरात्मक वनरोपण					
	4. शुद्ध वर्तमान मूल्य					
	5. द्वांदिक शुद्ध वर्तमान मूल्य					
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	8. सुरक्षा क्षेत्र उपचार प्रभार					
	9. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					
ख.	राज्य निधि द्वारा प्राप्त ब्याज की आरंभिक अतिशेष रकम (तदर्थ प्राधिकरण से और अधिनियम के अंतर्गत दोनों पर)					
ग.	राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदानों, ऋणों आदि की आरंभिक अतिशेष रकम					
घ.	अधिनियम के अधीन राज्यों द्वारा संग्रहित ब्याज में विलंब सहित राष्ट्रीय निधि के 10 प्रतिशत अंश की अतिशेष रकम, जो राष्ट्रीय निधि में अंतरित नहीं की गई					
II.	माह के दौरान राज्य निधि द्वारा प्राप्त कुल रकम (क+ख+ग+घ)					
क.	राज्य निधि को उपार्जित ब्याज की रकम (अधिनियम के अधीन राज्य निधि जमारकम पर और राष्ट्रीय निधि द्वारा अंतरित तदर्थ प्राधिकरण पर)					

ब.	तदर्थ प्राधिकरणसे और अधिनियम के अंतर्गत राज्य निधि द्वारा कुल प्राप्ति	तदर्थ प्राधिकरण के अधीन राज्य निधि के 90% अंश में से	अधिनियम के अधीन राज्य निधि के 90% अंश में से			
	घटक-वार मूल धनराशि (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. प्रतिकरात्मक वनरोपण					
	2. अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोपण					
	3. दार्ढिक प्रतिकरात्मक वनरोधन					
	4. शुद्ध वर्तमान मूल्य					
	5. दार्ढिक शुद्ध वर्तमान मूल्य					
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	8. सुरक्षा क्षेत्र उपचार प्रभार					
	9. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
ग.	राज्य निधि द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण इत्यादि की रकम					
घ.	अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय निधि की 10% हिस्सेदारी पर ब्याज की राशि जो राष्ट्रीय निधि को हस्तांतरित नहीं की गई					
III.	राज्य निधि द्वारा कुल व्यय (क+ख)					
क.	तदर्थ प्राधिकरण और अधिनियम के तहत राज्य निधियों द्वारा कुल व्यय	तदर्थ प्राधिकरण के अधीन राज्य निधि की हिस्सेदारी के 90% में से	अधिनियम के अधीन राज्य निधि के 90% में से			
	सभी राज्यों के घटकवार मूलधन रकम, (1+2+3+4+5+6+7)					
	1. प्रतिकरात्मक वनरोपण					
	2. अतिरिक्त प्रतिकरात्मक वनरोधन					
	3. दार्ढिक प्रतिकरात्मक वनरोधन					
	4. शुद्ध वर्तमान मूल्य					
	5. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	6. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	7. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					
ख.	तदर्थ प्राधिकरण और अधिनियम के अधीन अंतरित ब्याज में से राज्य निधि द्वारा कुल व्यय					
	i. राज्य निधि द्वारा व्यय की गई रकम (उपार्जित ब्याज का 60%)					
	ii. राज्य निधि द्वारा व्यय की गई रकम (उपार्जित ब्याज का 40%)					
IV.	राष्ट्रीय निधि को संदाय					
	i. अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय निधि के 10% की मूलधन रकम में से					
	ii. राष्ट्रीय निधि की हिस्सेदारी के विलंब से भुगतान पर कुल ब्याज में से					
V.	राज्य निधि का कुल अंत शेष (क+ख+ग+घ)					
	क. सभी राज्य निधि की घटकवार अंत शेष राशि	तदर्थ प्राधिकरण में से	अधिनियम के तहत राज्य निधि का भाग			
	कुल मूलधन राशि (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. प्रतिपूरक वनीकरण					
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण					
	3. दार्ढिक प्रतिपूरक वनीकरण					
	4. निवल वर्तमान मूल्य					
	5. दार्ढिक निवल वर्तमान मूल्य					
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार					
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार					
	8. संरक्षित क्षेत्र उपचार प्रभार					
	9. अन्य (कृपया उल्लेख करें)					

	ब. राज्य निधि द्वारा प्राप्त कुल ब्याज राशि का अंतःशेष (तदर्थ प्राधिकरण तथा अधिनियम के तहत दोनों पर)			
	ग. राज्य प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अनुदान, ऋण इत्यादि की अंत शेष राशि			
	घ. अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय निधि के 10% भाग की अंत शेष राशि और राष्ट्रीय निधि को विलम्ब से भुगतान करने पर राज्यों द्वारा संगृहीत ब्याज तथा राष्ट्रीय निधि को अंतरित नहीं किया गया			
VI.	राज्यों से अधिनियम के अधीन बकाया राशि का संचयी आंकड़ा (अधिनियम के अधीन 10% अंश में से और विलम्ब के कारण राज्यों द्वारा संगृहीत ब्याज और जो अधिनियम के अधीन अंतरित नहीं किया गया)			

घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट को सत्यापित किया गया है तथा सही पाया गया है। रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण

तारीख :

प्ररूप-8

राज्य द्वारा वास्तविक तथा वित्तीय उपलब्धियों संबंधी राज्य प्राधिकरण का मासिक विवरण

[नियम 37 देखें

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक योजना प्रचालन में यथा अनुमोदित वास्तविक आगमलक्ष्य (हे. में/पेड़)	वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि (हे. में/पेड़)	आज की तारीख तक संचयी उपलब्धि (हे. में/पेड़)	वर्तमान महीना (रुपये में)	पिछला महीना (रुपये में)	इस महीने तक संचयी राशि (रु. में)
I.	तदर्थ प्राधिकरण निधि में से कुल व्यय [मूल राशि से कुल घटकवार कार्य] (1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
	1. प्रतिपूरक वनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य						
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार						
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	8. संरक्षित क्षेत्र उपचार प्रभार						
	9. अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
II.	राज्य निधि के 90% हिस्सेदारी में से व्यय की गई राशि [मूल राशि से कुल घटकवार कार्य] (1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
	कुल घटकवार मूलधन राशि कार्य						
	1. प्रतिपूरक वनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. दाण्डिक निवल वर्तमान मूल्य						
	6. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार						
	7. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	8. सुरक्षा जोन उपचार प्रभार						
	9. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
III.	तदर्थ प्राधिकरण से अंतरित ब्याज में से राज्य निधि द्वारा किया गया कुल व्यय						
IVक.	राज्य निधि द्वारा व्यय की गई राशि (उपाजित						

	व्याज का (60%) [1+2+3+4+5+6]						
	1. प्रतिपूरक वनीकरण और दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण की बढ़ी हुई मजूदरी दरों पर लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति करना						
	2. आवाह क्षेत्र उपचार योजना की बढ़ी हुई मजूदरी दरों पर लागत वृद्धि की क्षतिपूर्ति करना						
	3. वन्यजीव प्रबंधन योजना की बढ़ी हुई मजूदरी दरों पर लागत वृद्धि को पूरा करना						
	4. अधिनियम के तहत गठित राज्य प्राधिकरण के नियमित और संविदा आधार पर, दोनों के सदस्यों और कर्मचारिवृद्ध को वेतन और भत्तों का संवितरण						
	5. अधिनियम के तहत गठित राज्य प्राधिकरण के नामित सदस्यों को बैठक फीस और भत्तों का संवितरण						
	6. नियम 5 के उप नियम (2) और (3) में उल्लिखित क्रियाकलाप						
IV.ख.	राज्य निधि द्वारा व्यय की गई राशि (उपार्जित व्याज का 40%)						
	कुल प्रशासनिक व्यय (I+ii+iii+iv+v+vi)						
	i. कार्मिक सेवाएं और प्रसुविधा						
	ii. प्रशासनिक व्यय						
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय						
	iv. मॉनीटरी और मूल्यांकन व्यय						
	v. पूंजीगत आस्तियों के सृजन जैसे अनावर्ती प्रबंधन व्यय						
	vi. नियम 6 के उप नियम (ख) में उल्लिखित अन्य व्यय						
V.	अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय निधि को भुगतान की जाने वाली बकाया राशि (10 प्रतिशत अंशदान में से और राष्ट्रीय निधि पर उपचित व्याज अंतरित नहीं होगा)						

घोषणा

उपर्युक्त रिपोर्ट का सत्यापन कर लिया गया है और सही पाई गई है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।
तिथि:

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण

प्ररूप-9

राज्य द्वारा वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों के संबंध में राज्य प्राधिकरण का वार्षिक विवरण

[नियम 37 देखें]

क्र.सं.	विवरण	वार्षिक योजना प्रचालन में यथा अनुमोदित वास्तविक लक्ष्य (इकाइयों में)	वर्ष के दौरान यथार्थ वास्तविक उपलब्धि (इकाइयों में)	वास्तविक लक्ष्य (अन्य)	वास्तविक उपलब्धियां (अन्य)	वित्तीय लक्ष्य (रु. में)	वित्तीय उपलब्धियां (रु. में)
I.	तदर्थ प्राधिकरण निधियों में से कुल व्यय (मूल धनराशि से कुल घटक-वार कार्य) (1+2+3+4+5+6+7)						
	1. प्रतिपूरक वनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण						
	3. दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार						
	6. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	7. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
II.	90% अंशदान में से राज्य निधि द्वारा किए गए व्यय की राशि (मूल धनराशि से कुल घटक-वार कार्य) (1+2+3+4+5+6+7)						

	कुल घटक-वार मूल धनराशि कार्य						
	1. प्रतिपूरक बनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक बनीकरण						
	3. दंडात्मक प्रतिपूरक बनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार						
	6. वन्यजीव संरक्षण योजना प्रभार						
	7. अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)						
III.	तदर्थ प्राधिकरण से अंतरित ब्याज में से राज्य निधि द्वारा किया गया कुल व्यय						
IV क	राज्य निधि द्वारा खर्च की गई राशि (उपचित ब्याज का 60%) [1+2+3+4+5+6]						
	1. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक बनीकरण और दंडिक प्रतिपूरक बनीकरण की बढ़ी लागत की क्षतिपूर्ति करना।						
	2. बढ़ी हुई मजदूरी दरों पर आवाह क्षेत्र उपचार योजना की बढ़ी लागत की क्षतिपूर्ति करना।						
	3. बढ़ी मजदूरी दरों पर वन्यजीव प्रबंधन योजना की बढ़ी लागत की क्षतिपूर्ति करना।						
	4. अधिनियम के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण के सदस्यों और कर्मचारिवृन्द नियमित एवं संविदात्मक कर्मचारिवृन्द दोनों के वेतन एवं भत्तों का संवितरण						
	5. अधिनियम के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण के नामनिर्दिष्ट सदस्यों को बैठक फीस और भत्तों का संवितरण						
	6. नियम 5 के उपनियम 2 में निर्दिष्ट क्रियाकलाप						
IV ख	राज्य निधि द्वारा खर्च की गई राशि (उपचित ब्याज का 40%)						
	कुल प्रशासनिक व्यय (I+II+III+IV+V)						
	i. कार्मिक सेवाएं और प्रसुवधियाएं						
	ii. प्रशासनिक व्यय						
	iii. अन्य प्रशासनिक व्यय						
	iv. माँनीअरी और मूल्यांकन व्यय						
	v. पूंजीगत आस्ति के सृजन जैसे अनावर्ती प्रबंधन व्यय						
	vi. नियम 6 के उप नियम (ख) में संदर्भित अन्य व्यय						
V.	अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय निधि के भुगतान की जाने वाली बकाया राशि (10 प्रतिशत अंशदान में से और राष्ट्रीय निधि पर उपचित ब्याज अंतरित नहीं)						

घोषणा

उपर्युक्त रिपोर्ट का सत्यापन कर लिया गया है और सही पाई गई है। इस रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर
सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण

प्ररूप-10

राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख और लेखा

[नियम 37 देखें]

निम्नलिखित लेखा/अभिलेख अनुरक्षित किए जाएंगे:

1. रोकड़ बुक, लेजर, जर्नल, सार्वजनिक निधि लेखा रजिस्टर।
2. स्टॉक रजिस्टर, निश्चित आस्ति रजिस्टर।

3. लेखा शीर्षों द्वारा व्यय दर्शाने वाले रजिस्टर।
4. लेखाओं का मासिक वित्तीय विवरण और वास्तविक परिणाम।
5. तिमाही मॉनिटरी रजिस्टर।
6. राज्य निधि से राष्ट्रीय निधि के वार्षिक अंशदान का रजिस्टर (राज्यवार)।
7. अनुदानों/ऋणों आदि का रजिस्टर।
8. कार्य रजिस्टर जिसमें समस्त वास्तविक कार्यों और उनके लिए राज्य निधि से किए गए तदनुसूची व्यय का अभिलेख रखा जाएगा।
9. पौधारोपण जर्नल

प्ररूप-11

31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राज्य प्राधिकरण का लेखा विवरण

[नियम 38 देखें]

(अन्य अनुदानों/ऋणों आदि के लिए पृथक प्ररूप प्रस्तुत किए जाएं)

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र.सं.	शीर्ष	वार्षिक योजना प्रचालन में यथा अनुमोदित वास्तविक निर्गम इकाई में)	वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि (इकाई में)	आज की तारीख तक संचयी वास्तविक उपलब्धि (इकाई में)	वर्ष के दौरान बजट आबंटन (रुपए में)	खर्च की गई वास्तविक धनराशि (रुपए में)	आज की तारीख तक संचयी धनराशि (रुपए में)
1	स्कीम						
	1. प्रतिपूरक बनीकरण						
	2. अतिरिक्त प्रतिपूरक बनीकरण						
	3. दाण्डिक प्रतिपूरक बनीकरण						
	4. निवल वर्तमान मूल्य						
	5. आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार						
	6. वनों का सुधार/सुरक्षा						
	7. प्रचार और शिक्षा						
	8. प्रशिक्षण						
	9. जंगम आस्तियां						
	i						
	ii						
	iii						
	10. स्थावर आस्तियां						
	i						
	ii						
	11. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
	i						
	ii						
		बजट आबंटन (रुपए में)	वर्ष के दौरान खर्च की गई वास्तविक धनराशि (रुपए में)	गत वर्ष के दौरान खर्च की गई वास्तविक धनराशि (रुपए में)	टिप्पणियां		
II क.	प्रशासनिक प्रभार*						
ख.	अन्य प्रशासनिक व्यय*						
ग.	अन्य*						
III	मॉनीटरी और मूल्यांकन						
	क. वार्षिक लेखा						

	परीक्षा				
	ख. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा				
	ग. ई-ग्रीन बॉच निर्गम				
	घ. तृतीय पक्षकार मॉनीटरी				

घोषणा

उपरोक्त रिपोर्ट की जांच की गई और सही पाई गई है। रिपोर्ट को राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत कर लिया गया है।

तारीख :

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण

टिप्पण : IIक* प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं - कर्मचारियों का वेतन और मजदूरी, वेतन और भत्ते, समयोपरि भत्ते, पेंशन संबंधी प्रभार, चिकित्सा उपचार, प्रशासनिक व्यय, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा, कार्यालय व्यय, बिजली और विद्युत, जल प्रभार, किराया, दरें और कर (संपत्ति कर सहित), पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रीकेंट (पीओएल) सहित स्टाफ कार की लीज और भाड़े पर लेना, राज्य प्राधिकरण के लिए भवन पट्टे पर अथवा भाड़े पर लेना।

IIख* अन्य प्रशासनिक प्रभार में शामिल हैं - सम्मेलन, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि पर व्यय, प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, वृत्तिक सेवाएं, अन्य संविदात्मक सेवाएं।

IIग* अन्य में शामिल हैं - कार्टेज और कैरेज इनवॉइस (स्थिर परिसंपत्ति/गैर आवर्ती मदों की खरीद पर), मुद्रण और प्रकाशन (शैक्षणिक के अलावा), अंशदान व्यय (शैक्षणिक के अलावा), राष्ट्रीय प्राधिकरण की पूंजीगत आस्ति के सृजन जैसे गैर आवर्ती प्रबंधन व्यय, कोई अन्य व्यय।

प्ररूप-12

[नियम 39 देखें]

वार्षिक प्रचालन योजना

[आगामी वित्तीय वर्ष के लिए चालू वर्ष की 31 दिसम्बर तक प्रस्तुत किया जाए]

वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) निम्नलिखित भागों में तैयार की जाएगी -

भाग-I: संक्षिप्त इतिहास और विगत कार्य-निष्पादन**एपीओ के भाग-1 में शामिल होगा**

- (क) राज्य में वन और वन क्षेत्र का संक्षिप्त वर्णन।
- (ख) राज्य में गत पांच वर्षों में राज्य निधि से आवाह क्षेत्र शोधन, वन्यजीव प्रबंधन और सामुदायिक विकास कार्य तथा उनमें संचालित कार्यकलापों सहित प्रतिपूरक वनीकरण, अन्य वानिकी और संबंधित स्कीमों (भौतिक और वित्तीय), तालिका के प्ररूप में।
- (ग) सरकार की अन्य स्कीमों के अधीन प्राप्त निधि से पिछले वर्षों में राज्य में संचालित वानिकी तथा अन्य संबंधित योजनाएं (भौतिक और वित्तीय) एवं कार्यकलाप, तालिका के प्ररूप में।
- (घ) वर्ष 1980 से राज्य के विभिन्न जिलों/वन प्रभागों में अपवर्तित कुल वन क्षेत्र का सारणीबद्ध प्ररूप में वर्ष-वार ब्यौरा।
- (ङ) वर्ष 1980 से राज्य में किए गए कुल प्रतिपूरक वनीकरण का सारणीबद्ध प्ररूप में वर्ष-वार ब्यौरा।
- (च) राज्य वन विभाग के मॉनीटरी और मूल्यंकन स्कंध द्वारा किए गए मॉनीटरी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सारा।
- (छ) राज्य में स्वतंत्र मॉनीटरी (तृतीय पक्षकार मॉनीटरी) द्वारा किए गए मॉनीटरी कार्य का संक्षिप्त वर्णन और सारा।
- (ज) वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) तैयार करने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण सूचना जो सुसंगत समझी जाए।

2. भाग-II: प्रतिपूरक वनीकरण, अतिरिक्त प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन योजना और अन्य किसी स्थल विशेष की योजना के लिए शुरू किए गए कार्यकलापों का उपयोग राज्य द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का

69) के अधीन की धारा 6 के खंड (क) में निर्दिष्ट वन भूमि के अपवर्तन के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत स्थल विशेष की योजनाओं के अनुसार किया जाएगा:

- (क) नए प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन योजना के कार्यों तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त वन स्वीकृति के अधीन लगाई गई शर्तों के अनुसार किए जाने वाले वन्यजीव प्रबंध क्रियाकलापों का जिला/वन प्रभाग-वार विवरण।
- (ख) राज्य निधि से संचालित प्रत्येक प्रस्तावित कार्यकलाप के स्थान, प्राक्कलित लागत और कार्यान्वयन अनुसूची का जिला/प्रभाग वार विवरण दिया जाना है।
- (ग) विगत वर्षों में किए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्य, आवाह क्षेत्र शोधन योजना संबंधी कार्य, वन्यजीव प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों के मामलों में चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय कार्य, जिसको स्थायी रूप से बनाए रखने हेतु अनुरक्षण की आवश्यकता है, के अनुरक्षण का ब्यौरा।

टिप्पण : केवल उन्हीं जिलों का ब्यौरा दिया जाए जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 6 में निर्दिष्ट प्रतिपूरक वनीकरण, दंडात्मक प्रतिपूरक वनीकरण, आवाह क्षेत्र शोधन, वन्यजीव प्रबंधन और अन्य क्रियाकलापों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

3. भाग-III नियम 5 और नियम 6 में निर्दिष्ट निवल वर्तमान मूल्य और ब्याज के घटक से संचालित किए जाने वाले कार्यकलाप:

- (क) नियम 5 और नियम 6 में निर्दिष्ट विशेष कार्यकलापों के संबंध में राज्य में संचालित किए जाने वाले कार्यकलापों का जिला/वन प्रभाग वार ब्यौरा।
- (ख) राज्य निधि से संचालित प्रत्येक प्रस्तावित कार्यकलाप के स्थान, प्राक्कलित लागत और कार्यान्वयन अनुसूची का जिला/प्रभाग वार विवरण दिया जाना है।
- (ग) विगत वर्षों में नियम 5 और नियम 6 में निर्दिष्ट विशेष कार्यकलापों के संबंध में राज्य में संचालित कार्यकलापों के मामलों में चालू वित्तीय वर्ष में शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय कार्य, जिसको स्थायी रूप से बनाए रखने हेतु अनुरक्षण की आवश्यकता है, के अनुरक्षण का ब्यौरा।

टिप्पण: केवल उन्हीं जिलों का ब्यौरा दिया जाए जहां चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नियम 5 और 6 में उल्लिखित इन क्रियाकलापों को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।

4. भाग-IV सभी भौतिक कार्यकलापों के मापनीय निर्गम और प्रत्येक अनुमेय कार्यकलाप के लक्ष्यों के साथ मापनीय निर्गम हासिल करने हेतु अपेक्षित अवधि:

- (क) संचालित किए जाने वाले प्रत्येक कार्यकलाप के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की मापनीय प्रमात्रा के साथ ऐसे कार्यकलापों की प्राक्कलित लागत तालिका के रूप में जिसमें भाग II और भाग III में उपलब्ध कराए गए ब्यौरें शामिल हों।
- (ख) सभी भौतिक कार्यकलापों के मापनीय निर्गम के साथ मापनीय निर्दिष्ट हासिल करने हेतु अपेक्षित अवधि।
- (ग) विगत समय में तीसरे पक्ष की मॉनीटरी सहित समवर्ती मॉनीटरी और मूल्यांकन रिपोर्ट का ब्यौरा फोटो के साथ।

टिप्पण : राज्य प्राधिकरण द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए उचित रूप से अनुमोदित एपीओ प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर की तारीख से पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

घोषणा

उपर्युक्त वार्षिक प्रचालन योजना राज्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत की गई है।

हस्ताक्षर

सदस्य सचिव, राज्य प्राधिकरण

[फा. सं. 11-100/2015-एफसी (वालयूम.III)]

दीपक कुमार सिन्हा, वन महानिरीक्षक

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**(Forest Conservation Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th August, 2018

G.S.R. 766(E).—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), published the draft Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018 vide the Government of India in the Ministry of Environment and Climate Change notification number G.S.R. 172(E), dated the 16th February, 2018, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-section (i), dated the 17th February, 2018 for inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the general public;

And whereas, copies of the Gazette in which the said notification was published, were made available to the general public on the 17th February, 2018;

And whereas, the objections and suggestions received in respect of the said draft rules within the specified period have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of section 30 of the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016), read with section 22 of the General Clauses Act, 1897, the Central Government in consultation with the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Compensatory Afforestation Fund Rules, 2018.
2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “**Act**” means the Compensatory Afforestation Fund Act, 2016 (38 of 2016);
 - (b) “**annual plan of operation**” means the annual plan for physical activities and financial provisions approved by the National Authority or State Authority as the case may be, which describes milestones, conditions for success and explains how, a strategic annual plan will be put into operation during the financial year in given budgetary term, and containing inter alia, brief description, estimated cost, basis for cost estimation, agency identified for execution and time schedule of each activity to be executed from State Fund during a year;
 - (c) “**Form**” means a form appended to these rules;
 - (d) “**section**” means a section of the Act;
 - (e) “**third party monitoring**” means monitoring and evaluation of works executed from National Fund and State Fund by the parties which are external to a project’s direct beneficiary chain and management structure having no conflict of interest on parameters of evaluation as determined by the National Authority over and above the baseline to assess whether desired social, environmental or other impacts are being achieved and undesirable impacts avoided;
 - (f) “**Village Forest Management Committee**” means a committee constituted for joint forest management by the competent authority in the State;
 - (g) “**working plan**” means the management plan of forest land prepared and approved by the competent authority under the National Working Plan Code published by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for sustainable management of forests and biodiversity in India;
- (2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, the Indian Forest Act 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act 1980 (69 of 1980), the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and the rules made under these Acts, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts and rules.

- 3. Management of National Fund.**—The National fund shall be managed according to the provisions of the Government Accounting Rule 1990 and the General Financial Rules, 2017 as applicable from time to time.
- 4. Management of State Fund.**—The State Fund shall be managed according to the provisions of the State Financial Rules or any such rules applicable from time to time in a State.
- 5. Manner of utilisation of net present value.**—(1) The monies received towards net present value deposited in the State Fund shall be used in the manner provided in sub-rule (2) and sub-rule (3).
- (2) Not less than eighty per cent. of the monies referred to in sub-rule (1) shall be used for following activities for the forest and wildlife management in a State, namely:—
- (a) assisted natural regeneration;
 - (b) artificial regeneration ;
 - (c) silvicultural operations in forests;
 - (d) protection of plantations and forests;
 - (e) pest and disease control in forest;
 - (f) forest fire prevention and control operations;
 - (g) soil and moisture conservation works in the forest;
 - (h) voluntary relocation of villages from protected areas;
 - (i) improvement of wildlife habitat as provided in the approved wildlife management plan or working plan;
 - (j) planting and rejuvenation of forest cover on non-forest land falling in wildlife corridors;
 - (k) establishment, operation and maintenance of animal rescue centre and veterinary treatment facilities for wild animals;
 - (l) supply of wood-saving cooking appliances and other forest produce saving devices in forest fringe villages as specified by the National Authority from time to time;
 - (m) management of biological diversity and biological resource.

Explanation.—In cases where funds towards wildlife management and conservation plans are specifically collected and deposited in State Fund, then the same shall be spent for wildlife management in specified wildlife area and not from the net present value.

- (3) Not more than twenty per cent. of the monies referred to in sub-rule (1) shall be utilised for strengthening of the forest and wildlife related infrastructure, capacity building of the personnel involved in utilisation of State Fund namely: -
- (a) establishment, up-gradation and maintenance of modern nurseries and other planting stock production facilities for production of quality planting materials;
 - (b) promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity including preservation of habitats, conservation of land and folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and microorganisms and chronicling of knowledge relating to biological diversity.
 - (c) purchase and maintenance of equipment or devices used for communication and information technology for the purpose of protection of forest and wildlife;
 - (d) construction, up-gradation and maintenance of inspection paths, forest roads in forest area, fire lines, watch towers, check posts and timber depots;
 - (e) construction of residential and official buildings in forests for front line staffs deployed for protection of forest and wildlife;
 - (f) casual engagement of local people or labours to assist regular staff of State Forest Department for works for protection of forest and wildlife undertaken from State Fund;

- (g) survey and mapping of forest areas for forest fire control, compensatory afforestation works, soil and moisture conservation, catchment area treatment and wildlife management for preparing annual plans to be executed from the State Fund;
- (h) independent concurrent monitoring and evaluation and third party monitoring of various works undertaken from State Fund;
- (i) publicity-cum-awareness programme and exhibition on the various schemes being implemented by the State Authority from State Fund;
- (j) production and distribution of quality planting material through certified nurseries at subsidised price for promotion of trees outside forests on Government lands promoted by State Government;
- (k) forest certification and development of certification standards:

Provided that in case the activities referred to in sub rules (2) and (3) are to be undertaken in the forest land under the administrative control of the Forest Department of State Government, then the said activities shall be carried out as per the working plan:

Provided further that the said activities over forest land under the control of State Forest Department of State Government and being managed as per the working plan shall be taken up in consultation with the Gram Sabha or Village Forest Management Committee, as the case may be, and shall be in consonance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and the guidelines issued thereunder, wherever applicable:

Provided also that in case the said activities are to be undertaken in areas not covered by the approved working plan then activities referred to in sub rules (2) and (3) shall be taken up in consultation with concerned Gram Sabha or Village Forest Management Committee or any authority having jurisdiction over that area, as the case may be, and shall be in consonance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and guidelines issued thereunder, wherever applicable.

- (4) The monies referred to in sub-rule (1) shall not be used for following activities, namely:-
 - (a) payment of salary, travelling allowances, medical expenses, etc. to regular, contractual and casual employees of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
 - (b) undertaking foreign visits;
 - (c) payment for legal services for defending cases filed in Tribunals or Courts not related to the management of State Authority;
 - (d) purchase of vehicles or staff cars for officers and heavy vehicles and machines for the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
 - (e) construction of residential and official buildings for officers above the Forest Range Officer of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
 - (f) leasing, hiring and purchase of land for afforestation purposes;
 - (g) purchase of furniture, office equipment, fixtures including air conditioners, and generator sets for residences and offices of the State Forest Department for implementing programmes in various forest divisions undertaken from the State Fund;
 - (h) mandatory afforestation as per the working plan in the forest in blanks created by commercial felling of trees for revenue generation undertaken under working plan prescription;
 - (i) undertaking forest and wildlife conservation and other activities undertaken under other schemes of the Government for the purpose of part financing the scheme for completing left over works or complementary works of such schemes;

- (j) establishment, expansion and up-gradation of zoo and wildlife safari;
- (k) providing financial support, either by way of grant or equity to existing or for setting up new forest corporations, boards, etc.

Explanation 1.—While preparing the annual plan of operation for activities referred to in this rule,—

- (a) priority shall be given to undertake identified activities in those villages which have been affected due to diversion of forest land;
- (b) priority shall be given to undertake those identified activities which has employment potential for local communities and creates community assets for the benefit of local community;
- (c) afforestation and plantation of indigenous plant species shall be undertaken in consultation with the local community dependent on forest.

Explanation 2.—The mixing of the monies received towards net present value shall not be allowed with any other state schemes under implementation from any other budget either for capital or spill over works and the works undertaken under sub-rule (2) and sub-rule (3) shall be on standalone basis and there shall not be any duplication of permitted works under different components.

6. Utilisation of interest accrued on deposits in State Fund.—The interest accrued on monies in the State Fund shall be used in the following manner:—

- (a) not less than sixty per cent. of the interest transferred to the State Fund and further accrued on the amount available in the State Fund referred to in sub-rule (1) shall be spent on activities for the purpose of conservation and development of forest and wildlife namely:—
 - (i) to offset the incremental cost of compensatory afforestation and penal compensatory afforestation at the increased wage rates;
 - (ii) to offset the incremental cost of catchment area treatment plan at the increased wage rates;
 - (iii) to offset the incremental cost of wildlife management plan at the increased wage rates;
 - (iv) for disbursement of salary and allowances of members and staffs, both regular and contractual, of the State Authority;
 - (v) for disbursement of sitting fees and allowances to nominated members of the State Authority;
 - (vi) activities referred to in sub-rules (2) and (3) of rule 5;
- (b) not more than forty per cent. of the interest transferred to the State Fund and further accrued on the amount available in the State Fund shall be spent for the non-recurring and recurring expenditure of the State Authority, namely:—
 - (i) management of office establishment;
 - (ii) office equipment including computers and peripherals and its maintenance for the State Authority;
 - (iii) hiring of staff cars for the use of the officers and officials of the State Authority;
 - (iv) hiring of buildings on lease for the office establishment and residences of the officers of State Authority;
 - (v) other contingencies for management of the State Authority, with the approval of the steering committee of the State Authority;
 - (vi) any other activity for management of the forests and wildlife not referred to in sub-rules (2) and (3) with the prior approval of the steering committee of the State Authority and included in the annual plan of operation.

Explanation.—Under no circumstances mixing of the interest accrued on the monies in the State Fund shall be allowed with any other State budget either for capital or spill over works and the works undertaken under this rule shall be on standalone basis and there shall not be any duplication of permitted works under different components.

- 7. Appointment of Chief Executive Officer of National Authority.**—The Chief Executive Officer of the National Authority referred to in sub-section (5) of section 8 shall be appointed on deputation basis for a period not exceeding five years under Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- 8. Appointment of Officers of National Authority.**—The officers referred to in sub-section (4) and sub-section (5) of section 9 shall be appointed on deputation basis from the Central Government, State Government or Union territory under Non-Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- 9. Appointment of Chief Executive Officer of State Authority.**—The Chief Executive Officer of the State Authority referred to in sub-section (7) of section 10 shall be appointed on deputation basis for a period not exceeding five years by the State Government.
- 10. Appointment of Officers of State Authority.**—The officers referred to in sub-section (4) and sub-section (5) of section 11 shall be appointed on deputation basis by the State Government.
- 11. Pay and allowances of officers.**—The officers referred to in rules 7,8,9 and 10 shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to the equivalent officers of the Central Government of Group 'A'.
- 12. Pay and Allowances of Officials.**—The officials referred to in sub-section (5) of section 9 and sub-section (5) of section 11 and appointed on deputation basis shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to the equivalent officials of the Central Government of Group "B" or Group 'C', as the case may be.
- 13. Pay and Allowances of Officials appointed on Contract Basis.**—The officials referred to in sub-section (5) of section 9 and sub-section (5) of section 11 and appointed on contract basis shall be entitled to such pay and allowances as are specified in their contract.
- 14. Sitting Fees and Allowances of non-official Members.**- (1) The non-official members of the National Authority and State Authority shall be paid such sitting fees and allowances, for attending the meetings and for any other work assigned to them, as may be specified in the order of their appointment.
- (2) The sitting fee and allowances to be paid to the non-officials member of the National Authority referred to in the sub-rule (1) shall be paid from the National Fund as provided in sub-clause (i) of clause (b) of section 5.
- (3) The sitting fee and allowances to be paid to the non-officials member of the State Authority referred in the sub rule (1) shall be paid from the interest referred to in clause (a) of rule 6.
- 15. Selection of non-official Members of National Authority.**—(1) The Central Government shall seek nomination from various Ministries or Departments of the Central Government, State Government and Union territory Administration for non-official members of National Authority.
- (2) The Ministry or Department referred to in sub-rule (1) shall forward the names of the non-official members with full credentials for consideration to the Central Government.
- (3) The non-official members referred to in sub-rule (1) shall be resident of India holding a Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent in related field having work experience of ten years in the related field in the Central Government, State Government, Non-Government Organisation, Recognised Research Institute or University.
- (4) The non-official members referred to in sub-rule (1) shall not be employees of the Government:
- Provided that educational qualification and experience for the Scheduled Caste and the Schedule Tribe nominee may be relaxed by the Central Government on recommendation of the National Authority.
- 16. Selection of non-official Members of State Authority.**—(1) The Department of the State Government dealing with forests shall seek nomination from various Departments of the State Government, or Union territory Administration for non-official members of State Authority.

(2) Departments of the State Government, District Administration of the State or Union territory shall forward the names for the non-official members of the State Authority with full credentials to the Department of the State Government dealing with forests for consideration.

(3) The non-official members referred to in sub-rule (1) shall be resident of India holding a Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent in related field having work experience of ten years in the related field in the Central Government, State Government, Non-Government Organisation, Recognised Research Institute or University.

(4) The non-official members referred to in sub-rule (1) should not be employees of the Government: Provided that educational qualification and experience for the Scheduled Caste and the Schedule Tribe nominee may be relaxed by the State Government on recommendation of the State Authority.

17. Selection Committee.—(1) The Selection Committee to prepare the panel of eligible candidates for appointment of non-official members of the National Authority shall comprise of the following, namely:-

- (i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Chairman;
- (ii) One Secretary from any other Ministry of the Central Government to be nominated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member;
- (iii) One Chief Secretary from the State Government to be nominated by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
- (iv) Director General of Forests and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
- (v) Additional Director General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
- (vi) Additional Director General of Forests (Wildlife), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India -Member;
- (vii) Chief Executive Officer of the National Authority -Member- Secretary.

(2) The Selection Committee to prepare the panel of eligible candidates for appointment of non-official members of the State Authority shall comprise of the following, namely:-

- (i) Chief Secretary of the State -Chairman;
- (ii) Additional Chief Secretary or Principal Secretary in-charge of the Forest Department in the State -Member;
- (iii) One Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary in the State Government nominated by the State Government. -Member;
- (iv) Principal Chief Conservator of Forests (Head of Forest Force) -Member;
- (v) Chief Wildlife Warden of the State -Member;
- (vi) Head of the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change -Member;
- (vii) Chief Executive Officer of the State Authority -Member- Secretary.

18. Disqualifications of non-official members of National Authority and State Authority

- (1) A person shall be disqualified for being appointed as a non-official member of the National Authority and State Authority, if he -
 - (i) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the Central Government or the State Government, as the case may be, involves moral turpitude; or
 - (ii) is an un-discharged insolvent; or
 - (iii) is of unsound mind and stands so declared by the competent court; or
 - (iv) has been removed or dismissed from the service of the Government or other organisation or undertaking owned by the Government; or
 - (v) has, in the opinion of the Central Government or the State Government, as the case may be, such financial or other interest in the National Authority and State Authority, as the case may be, as is likely to affect the duties discharged by him as a member.
- (2) No order of removal shall be made by the Central Government or the State Government under this section unless the member concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the same.
- (3) Notwithstanding anything contained in this rule, a member who has been removed under this section shall not be eligible for re-nomination as a member.
- (4) If a non-official member of the National Authority or State Authority becomes subject to any of the disqualifications referred to in sub-rule (1), his seat shall become vacant.

19. Meeting of the Governing Body, Executive Committee and monitoring group of the National Authority.—(1) The governing body of the National Authority shall meet on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-Secretary of the governing body to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(2) The executive committee of the National Authority shall meet on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-Secretary of the executive committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.

(3) The monitoring group of the National Authority shall meet at on such date and place and agenda as may be decided by the Director General, Forest survey of India, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India.

20. Notice of Meeting.—For any meeting of the governing body, executive committee or monitoring group five days clear notice shall be given to the members, excluding the day of the posting of notice and day of the meeting:

Provided that in case of urgency, the Member-Secretary of the governing body, executive committee and monitoring group of the National Authority, as the case may be, shall be competent to convene the meeting at a short notice with the approval of the Chairperson of the respective body.

21. Quorum of Meeting.—One half of the members including the Chairperson shall constitute the quorum at any meeting of the governing body, executive committee or monitoring group, as the case may be, and any fraction shall be rounded off to the next higher number.**22. Adjournment of Meeting.—**Where a quorum is not present within thirty minutes of the time notified for the commencement of the meeting, the same shall stand adjourned to the same day, time and place the following week, and the members present at the adjourned meeting shall form the quorum.**23. Decision in Meeting.—**The decisions in the meeting shall be by a simple majority of the members present and voting.**24. Meeting to be Chaired by Chairpersons, etc.—**Every meeting of the National Authority shall be chaired by the Chairperson and in his absence, by any member of the concerned body as decided by the said body.

- 25. Meetings of Governing Body, Steering Committee and Executive Committee of State Authority.**—(1) The governing body of the State Authority shall meet on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-Secretary of the governing body to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.
- (2) The steering committee of the State Authority shall meet on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-Secretary of the steering committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.
- (3) The executive committee of the State Authority shall meet on such date and place as may be decided by its Chairperson in consultation with the Member-Secretary of the executive committee to consider the issues listed in the agenda prepared by the Member-Secretary.
- 26. Notice of Meeting.**—For any meeting of the governing body, steering committee or executive committee five days clear notice shall be given to the members, excluding the day of the posting of notice and the and day of the meeting:
- Provided that in case of urgency, the Member-Secretary of the governing body, steering committee or executive committee as the case may be shall be competent to convene the meeting at a short notice with the approval of the chairperson of the respective body.
- 27. Quorum of Meeting.**—One half of the members including the Chairperson shall constitute the quorum at any meeting of the governing body, steering committee or executive committee, as the case may be, and any fraction shall be rounded off to the next higher number.
- 28. Adjournment of Meeting.**—Where a quorum is not present within thirty minutes of the time notified for the commencement of the meeting, the same shall stand adjourned to the same day, time and place the following week, and the members present at the adjourned meeting shall form the quorum.
- 29. Decision in Meeting.**—The decisions in the meeting shall be by a simple majority of the members present and voting.
- 30. Meeting to be Chaired by Chairpersons, etc.**—Every meeting of the State Authority shall be chaired by the Chairperson and in his absence, any member of the concerned body as decided by the said body.
- 31. Financial regulation and procedures of National Authority.**—The financial regulation and procedures, in particular the procedure for drawing up and implementing the budget of the National Authority shall be in accordance with the General Financial Rules 2017 and the orders issued by the Central Government from time to time in this regards.
- 32. Preparation of Budget of National Authority.**—The National Authority shall prepare its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of National authority in **Form-I** based on the annual plan of operation including various schemes of the National Authority prepared and approved by the governing body for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the National Authority and forward the same to the Central Government in each financial year by the **31st December**.
- 33. Maintenance of accounts and preparation of annual statement of accounts by National Authority.**—The monthly statement of accounts for the receipt and payment and expenditure shall be prepared in **Form-II** and annual statement of accounts of the National Authority shall be prepared in **Form-III**, and the National authority shall maintain the records and accounts in **Form-IV**.
- 34. Annual Reports.**—The annual report shall be prepared by the National Authority giving brief description of all activities undertaken from National Fund with separate headings and compiled in separate chapters and the reports shall include summary of works undertaken and schemes prepared and approved in annual plan of operation, and the annual report shall be in **Form-V**.
- 35. Financial regulation and procedures of State Authority.**—The financial regulation and procedures, in particular the procedure for drawing up and implementing the budget of the State Authority shall be in accordance with the General Financial Rules 2017 and the orders issued by the Central Government and State Government from time to time in this regards.

36. Preparation of budget of State Authority.—The State Authority shall prepare its budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of State Authority in **Form-VI** based on the annual plan of operation prepared and approved by the governing body for the next financial year, showing the estimated receipts and expenditure of the State Authority and forward the same to the State Government and Central Government in each financial year by the **31st December**.

37. Maintenance of accounts and preparation of annual statement of accounts by State Authority.—The monthly statement of accounts shall be prepared in **Form-VII**; the monthly statement of the State Authority on physical and financial achievements shall be prepared in **Form-VIII** and annual statement of accounts of the State Authority shall be prepared in **Form-IX**, and the State Authority shall maintain its records and accounts in **Form-X**.

38. Annual reports.—The annual report shall be prepared by the State Authority giving brief description of all activities undertaken from State Fund with separate headings and compiled in separate chapters and the reports shall include summary of works undertaken and schemes prepared and approved in annual plan of operation, and the annual report shall include the statement in **Form-XI**.

The annual plan of operation of State Authority.—The annual plan of operation of the State Authority shall be prepared in **Form-XII** and shall be submitted by the State Authority before the 31st December of every year to the National Authority for the next financial year.

Form-I
Annual Budget proposal of National Authority for financial year _____
[see rule 32]

1	2	3	4
S. No.	Description	Current Financial Year (in Rs)	Last Financial Year (in Rs)
1.	a. Opening Balance of funds received from adhoc Authority as on 1st April		
	b. Opening Balance of amount received from State Authority as on 1 st April		
	c. Opening Balance of loans/grants etc. received as on 1 st April		
2.	Total funds available with National Authority (as on 1 st April)(1+2)		
3.(i)	Annual Expenditure of National Authority out of National Fund		
	a. Recurring Management Expenditure		
	i. Personnel services and benefits		
	ii. Administrative Expenses		
	iii. Other Administrative Expenses		
	iv. Any other expenditure		
	b. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset		
	c. Expenditure on Ongoing Schemes		
	d. Expenditure on New Schemes		
	e. Monitoring and Evaluation Expenditure		
3. (ii)	Total estimated expenditure out of grants/loans etc.		
4. (i)	Estimated Gross Total Expenditure {3(i)+3(ii)}		
(ii)	Estimated payments to State Authorities out of funds received from ad hoc Authority.		
5.	Total closing balance with National Authority		
	a. Closing balance of funds received from ad hoc Authority		
	b. Closing balance out of receipt from State Authority		
	c. Closing balance of grants/loans etc.		

Declaration

The budget proposal as mentioned above has been approved and adopted by the National Authority.

Date:

Member-Secretary

National Authority

Form-II

Monthly Statement of Accounts of National Authority for the Receipt and Payment/Expenditure Month_____ Financial year._____

[see rule 33]

1	2	3	4	5
S.No.	Head	Current month (in rupees)	Last month (in rupees)	Cumulative amount till this month(in rupees)
I.	Total Opening balance of National Fund (a+b+c+d)			
a.	Opening Balance of Principal Amount of National Fund out of 10% share of ad hoc Authority			
b.	Opening balance amount of 10% share received by National Fund from State Fund			
c.	Opening balance amount of interest accrued to National Fund			
d.	Opening balance amount of grants, loans, etc. unspent by National Authority			
II.	Opening balance amount of share of State Fund, under ad hoc Authority still lying with National Fund (a+b)			
a.	Opening balance amount of 90% share of ad hoc Authority due to State Fund, still lying with National Fund (Mention names of states)			
b.	Opening balance amount of Interest on 90% share of ad hoc Authority due to State Funds, still lying with National Fund (mention names of states)			
III.	Total Amount received by National Fund during the year (a+b)			
a.	Amount of interest accrued to National Fund			
	i. Amount of interest accrued to National Fund out of 10% share of ad hoc Authority and under Act			
	ii. Amount of interest accrued to National Fund out of 90% share of ad hoc Authority still not transferred from National fund to State Fund			
b.	Amount of receipt by National Fund (other than ad hoc Authority) (i + ii)			
	i. Receipt of funds from State Funds (10% as share of National Fund)			
	ii. Amount of grants, loans etc. received			
IV.	Amount of 10% share of National Fund collected by States under the Act with interest thereon and not transferred to National Fund (mention names of states)			
V.	Total payment by National Fund to State Fund out of ad hoc Authority (a+b)			
a	Payments by National Fund to State Fund (Out of 90% of ad hoc Authority) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)			
	1. Compensatory Afforestation			
	2. Additional Compensatory Afforestation			
	3. Penal Compensatory Afforestation			

	4. Net Present Value			
	5. Penal Net Present Value			
	6. Catchment Area Treatment Charges			
	7. Wildlife Conservation Plan Charges			
	8. Safety Zone Treatment Charges			
	9. Others (please specify)			
b	Payment from National Fund to State Fund out of interest accrued on ad hoc Authority			
VI.	Total Expenditure by National Authority during the year out of Principal and Interest amount (a+b)			
(a)	Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v+vi)			
	i. Personnel services and benefits			
	ii. Administrative Expenses			
	iii. Other administrative expenses			
	iv. Monitoring and Evaluation Expenditure			
	v. Other administrative expenses			
	vi. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset			
(b)	Expenditure on Schemes (i+ii+iii)			
	i. Expenditure on ongoing schemes			
	ii. Expenditure on New Schemes			
	iii. Others			
VII	Total closing balance of National Fund (a+b+c+d)			
	a. Closing Balance of Principal Amount of National Fund (10% share of ad hoc Authority)			
	b. Closing balance amount of 10% share received by National Fund from State Funds under the Act.			
	c. Closing balance amount of interest accrued to National Fund			
	d. Closing balance amount of grants, loans, etc. received by National Authority			
VIII	a. Closing balance amount of 90% share of ad hoc Authority due to State Funds, still lying with National Fund (mention names of States)			
	b. Closing balance amount of Interest on 90% share of ad hoc Authority due to State Funds, still lying with National Fund (mention names of States)			

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The report has been adopted by National Authority

Date:

Signature

Member-Secretary, National Authority.

Form -III

Annual statement of Accounts of National Authority for Financial Year-----

[see rule 33]

As on 31st March _____

1	2	3	4
Sl.No	Description	Current Financial Year (in Rs.)	Last Financial Year (in Rs.)
I.	Total Opening balance of National Fund (a+b+c+d+e+f)		
a.	Opening Balance of Principal Amount of National Fund (10% share of ad hoc Authority)		
b.	Opening balance amount of 10% share received by National Fund from State Fund under the Act		
c.	Opening balance amount of interest received by National Fund (Both ad hoc Authority and under the Act)		
d.	Opening balance amount of grants, loans etc. received by National Authority		
e.	Opening balance amount of 90% share of ad hoc Authority due to State Funds, still lying with National Fund (mention names of States)		
f.	Opening balance amount of Interest on 90% share of ad hoc Authority due to State Funds, still lying with National Fund (Mention names of States)		
II.	Total Opening balance of State Funds (a+b+c+d)		
a.	Opening balance of principal amount component wise of all states after expenditure (90% share of ad hoc Authority) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
	1. Compensatory Afforestation		
	2. Additional Compensatory Afforestation		
	3. Penal Compensatory Afforestation		
	4. Net Present Value		
	5. Penal Net Present Value		
	6. Catchment Area Treatment Charges		
	7. Wildlife Conservation Plan Charges		
	8. Safety Zone Treatment Charges		
	9. Others (please specify)		
b.	Opening balance amount of interest received by State Funds (both on ad hoc Authority and deposit under the Act)		
c.	Opening balance amount of grants, loans, etc. received by State Authority		
d.	Opening balance amount of 10% share of National Fund collected under the Act by States and not transferred to National Fund		
III.	Total amount received by National Fund during the year (a+b)		
a.	Amount of interest accrued to National Fund		
	i. Amount of interest accrued to National Fund out of 10% share of ad hoc Authority		
	ii. Amount of interest accrued to National Fund out of 90% share of ad hoc Authority still not transferred by National Fund to State Fund		
b.	Amount of receipt by National Fund (Other than ad hoc Authority) (i + ii)		
	i. Receipt of funds from State Funds (10% as share of National Fund) under the Act		
	ii. Amount of grants, loans etc. received		

IV.	Outstanding dues of National Fund, received by State Fund under the Act		
	i. Amount of 10% share of National Fund under the Act collected by States and not transferred to National Fund (Mention names of states)		
	ii. Amount of interest accrued to State Fund (on outstanding National Fund's 10% share not transferred to National Fund)		
V.	Total Amount received by State Fund during the year (a+b)		
a.	Amount of interest accrued to State Fund (on State Fund deposits)		
b.	Amount of received by State Fund (Other than ad hoc Authority) (i + ii)		
	i. Receipt of funds by State Fund (90% as share of State Fund under the Act)		
	ii. Amount of grants, loans etc. received by State Fund		
VI.	Total payment by National Fund to State Fund out of ad hoc Authority (a+b)		
a	Payments by National Fund to State Fund (Out of 90% of ad hoc Authority) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
	1. Compensatory Afforestation		
	2. Additional Compensatory Afforestation		
	3. Penal Compensatory Afforestation		
	4. Net Present Value		
	5. Penal Net Present Value		
	6. Catchment Area Treatment Charges		
	7. Wildlife Conservation Plan Charges		
	8. Safety Zone Treatment Charges		
	9. Others (please specify)		
b	Payment by National Fund to State Fund out of interest accrued of ad hoc Authority		
VII.	Total expenditure by National Authority during the year out of principal and interest amount (a+b)		
(a)	Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v+vi)		
	i. Personnel services and benefits		
	ii. Administrative Expenses		
	iii. Other administrative expenses		
	iv. Monitoring and Evaluation Expenditure		
	v. Other administrative expenses		
	vi. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset		
(b)	Expenditure on Schemes (i+ii+iii)		
	i. Expenditure on Ongoing Schemes		
	ii. Expenditure on New Schemes		
	iii. Others		
VIII.	Total Expenditure from State Fund (i+ii)		
	i. Total expenditure from State Fund out of ad hoc Authority		
	ii. Total expenditure from State Fund under the Act		
IX.	Total Closing balance of National Fund (a+b+c+d+e+f)		
	a. Closing Balance of principal amount of National Fund (10% share of ad hoc Authority)		

	b. Closing balance amount of 10% share received by National Fund from State Fund under the Act		
	c. Closing balance amount of interest received by National Fund		
	d. Closing balance amount of grants, loans, etc. received by National Authority		
	e. Closing balance amount of 90% share of ad hoc Authority due to State Fund, still lying with National Fund (Mention names of states) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
	1. Compensatory Afforestation		
	2. Additional Compensatory Afforestation		
	3. Penal Compensatory Afforestation		
	4. Net Present Value		
	5. Penal Net Present Value		
	6. Catchment Area Treatment Charges		
	7. Wildlife Conservation Plan Charges		
	8. Safety Zone Treatment Charges		
	9. Others (please specify)		
	f. Closing balance amount of Interest on 90% share of ad hoc Authority due to State Fund, still lying with National Fund (Mention names of states)		
X.	Total Closing balance of State Fund (a+b+c+d)		
	a. Closing balance of principal amount component wise of all states after expenditure (90% share of ad hoc Authority) (1+2+3+4+5+6+7+8+9)		
	b. Closing balance amount of interest received by State Fund (both on ad hoc Authority and under the Act)		
	c. Closing balance of grants, loans, etc. received by State Authority		
	d. Closing balance amount of 10% share of National Fund collected by States under the Act and not transferred to National Fund along with interest		
XI.	Cumulative figure of National Fund outstanding dues from states (Out of 10% share of National Fund collected by States under the Act and not transferred to National Fund along with interest)		

Declaration

The above report has been verified and found correct. The report has been adopted by National Authority.

Date

Signature
Member-Secretary,
National Authority.

Form-IV

Records and Accounts to be maintained by the National Authority

[see rule 33]

The following accounts/records will be maintained:

1. Cash Book, Ledger, Journal, Public Fund Accounts Register
2. Stock Register, Fixed Asset Register.
3. Registers showing expenditure by Heads of Accounts.

4. Monthly financial statement of Accounts and physical output
5. Quarterly Monitoring Register
6. Register for Annual Share of National Fund from the State Fund (State wise)
7. Register of Grants/Loans etc.
8. Records of schemes approved and executed by the National Authority including statement of funds released to beneficiaries of the scheme.

Form-V**Statement of Accounts of National Authority for the financial year ending on 31st March, 20---**

[see rule 34]

(Separate Forms for other Grants/Loans etc. are to be submitted)

As on 31st March ---

1	2	3	4	5	6	7	8
S. No.	Head	Physical output as approved in annual plan of operation (in units)	Actual physical achievement during the year(in units)	Cumulative physical achievement till date. (in units)	Budget allocation during the year (in Rs)	Actual amount spent (in Rs)	Cumulative amount till date (in Rs)
I	Schemes						
	a. Ongoing schemes						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
	v.						
	b. New Schemes						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
	v.						
	vi.						
	c. Others (specify)						
	i.						
	ii.						
	iii.						
	iv.						
		Budget Allocation (in Rs.)	Actual amount spent during the year (in Rs.)	Actual amount spent during last year (in Rs.)	Remarks		
II a.	Administrative Charges*						
b.	Other Administrative Expenses*						
c.	Others*						
III	Monitoring and Evaluation						
	a. Annual Audit						
	b. Comptroller and Auditor General Audit						
	c. E-green Watch Outcome						
	d. Third Party Monitoring						

Declaration:

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by National Authority

Date:

Signature
Member-Secretary, National Authority

Notes: IIa * Administrative charges include - Staff salary and wages, Pay and Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment, Administrative Expenses, Domestic Travel, Foreign Travel, Office Expenses, Electricity and Power, Water Charges, Rent, Rates and Taxes (including property tax), Hire, Purchase and Maintenance of Staff Car including petroleum, oil and lubricants (POL).

IIb* Other administrative charges include - Sitting fee and admissible allowances to the non-official members of the National Authority, Expenditure on conference, seminar, workshop, etc., Training Programme, Advertisement & Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

IIIc* Others include Cartage and Carriage inwards (on purchase of fixed assets/non-recurring items), Printing and Publications (other than academic), Subscription Expenses (other than academic), Non recurring management expenditure like, creation of Capital Asset of National authority, any other expenditure.

Form-VI

Annual Budget proposal of State Authority for financial year _____

Submitted along with the Annual Plan of Operation

[see rule 35]

S.No.	Description	Current Financial Year (in Rs)	Last Financial Year (in Rs)
1.	a. Opening Balance of funds received from National Authority as on 1st April		
	b. Opening Balance of loans/grants etc. received as on 1 st April		
2.	Estimated Annual receipt of State Authority		
	(a) Receipt of Fund by State Authorities from User agencies		
	(b) Receipt of accrual of interest on State Fund		
	(c) Receipt of Grants/loans/others of State Authority		
	(d) Any Other Income		
3.	Total estimated funds available with State Authority (as on 1 st April)(1+2)		
4.(i)	Annual proposed expenditure of State Authority out of State Fund		
	Activities to be undertaken from interest (specify) under rule 6		
	Recurring Management Expenditure		
	i. Personnel services and benefits*		
	ii. Administrative Expenses**		
	iii. Other Administrative Expenses***		
	iv. Any other expenditure		
	Activities to be undertaken from Net Present value (specify) under rule 5		
	a. Non recurring Management Expenditure like Creation of Capital Asset/		
	b. Afforestation and other permissible activities		
	c. Expenditure on Ongoing works		
	d. Expenditure on New works		
	e. Monitoring and Evaluation Expenditure		

4(ii)	Compensatory Afforestation works		
4(iii)	Catchment Area Treatment works		
4(iv)	Wildlife Management works		
4(v)	Other (specify)		
4. (vi)	Total estimated expenditure out of grants/loans etc.		
5. (i)	Estimated Gross Total Expenditure {4(i)+4(ii)+4(iii)+4(iv)+4(v)+4(vi)}		
(ii)	Estimated payments to National Authorities out of funds received from use agency.		
6.	Total closing balance with State Authority		
	a. Closing balance of funds received from National Authority		
	b. Closing balance out of receipt from User agencies		
	c. Closing balance of grants/loans etc.		

Declaration

The budget proposal as mentioned above has been approved and adopted by the State Authority.

Date:

Member-Secretary

State Authority

Note-1: for the purpose of budget estimate (referred in serial number 1, 2 and 3) for the year under consideration the opening balance refers to the fund available as on the 1st April of the previous year.

Note 2:*Personnel services and benefits includes -Staff salary and wages, Pay and Allowances, Travelling Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment etc.

Notes-2: ** Administrative expenses include - Office Expenses, Electricity and Power, Water Charges, Rent, Rates and Taxes (including property tax), Hire, Purchase & Maintenance of Staff Car including petroleum, oil and lubricants (POL) of the State Authority.

Note-3: *** Other administrative expenses include - Sitting fee and admissible allowances to the non-official members of the National Authority, Expenditure on conference, seminar, workshop, etc. Training Programme, Advertisement and Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

Form-VII

Monthly Account of State Authority for the Month _____

[see rule 37]

I.	Total opening balance of State Funds (a+b+c+d)	Out of 90% share of State Fund under ad hoc Authority	out of 90% share of State Fund under the Act	Current month (in rupees)	Last month (in rupees)	Cumulative amount till this month(in rupees)
a.	Opening balance of principal amount component wise (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1.Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4. Net Present Value					
	5. Penal Net Present Value					
	6.Catchment Area Treatment Charges					
	7. Wildlife Conservation Plan Charges					

	8. Safety Zone Treatment Charges					
	9. Others (please specify)					
b.	Opening balance amount of interest received by State Fund (both from ad hoc Authority and under the Act)					
c.	Opening balance amount of grants, loans etc. received by State Authority					
d.	Opening balance amount of 10% share of National Fund with interest on delay, collected by States under the Act and <i>not</i> transferred to National Fund.					
II.	Total Amount received by State Fund during the month (a+b+c+d)					
a.	Amount of interest accrued to State Fund (on State Funds deposits under the Act and from ad hoc Authority transferred by National Fund)					
b.	Total Receipt by State Funds from ad hoc Authority and under the Act	Out of 90% share of State Fund under ad hoc Authority	out of 90% share of State Fund under the Act			
	Principal Amount Component wise (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4. Net Present Value					
	5. Penal Net Present Value					
	6. Catchment Area Treatment Charges					
	7. Wildlife Conservation Plan Charges					
	8. Safety Zone Treatment Charges					
	9. Others (please specify)					
c.	Amount of grants, loans etc. received by State Fund					
d.	Amount of interest on National Fund 10% share under the Act not transferred to National Fund					
III.	Total Expenditure by State Fund (a+b)					
a.	Total expenditure by State Funds under ad hoc Authority and under the Act	Out of 90% share of State Fund received from ad hoc Authority	out of 90% share of State Fund under the Act			
	Principal Amount Component wise of all states (1+2+3+4+5+6+7)					
	1. Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4. Net Present Value					
	5. Catchment Area Treatment Charges					
	6. Wildlife Conservation Plan Charges					
	7. Others (please specify)					
b.	Total Expenditure by State Funds out of interest transferred from ad hoc Authority and under the Act					
	i. Amount Spent by State Fund (60% of interest accrued)					
	ii. Amount Spent by State Fund (40% of interest accrued)					
IV.	Payment to National Fund					
	i. Out of principal amount of 10% share of National Fund under the Act					
	ii. Out of Interest amount on delayed payment of National Fund share					
V.	Total Closing balance of State Fund (a+b+c+d)					

	a. Closing balance component wise of all State Fund	Out of ad hoc Authority	State Fund share under the Act			
	Total Principal amount (1+2+3+4+5+6+7+8+9)					
	1. Compensatory Afforestation					
	2. Additional Compensatory Afforestation					
	3. Penal Compensatory Afforestation					
	4. Net Present Value					
	5. Penal Net Present Value					
	6. Catchment Area Treatment Charges					
	7. Wildlife Conservation Plan Charges					
	8. Safety Zone Treatment Charges					
	9. Others (please specify)					
	b. Closing balance amount of interest received by State Fund (both on fund from ad hoc Authority and under the Act)					
	c. Closing balance amount of grants, loans etc. received by State Authority					
	d. Closing balance amount of 10% share of National Fund under the Act and interest collected by State on delayed payment to National Fund and not transferred to National Fund.					
VI.	Cumulative figure of under the Act's outstanding dues from states (out of 10% share under the Act and interest, collected by States on delay and not transferred to under the Act)					

Declaration

The above report has been verified and found correct. The report has been adopted by State Authority.

Date :-

Signature

Member-Secretary

State Authority

Form-VIII**Monthly Statement of State Authority on Physical and Financial achievements by the State _____**

[see rule 37]

Sl. No.	Description	Physical outcome Target as approved in annual plan of operation (in hectare/ trees)	Actual physical achievement during the year (in hectare/ trees)	Cumulative achievement till date. (in hectare/ trees)	Current Month (in rupees)	Last Month (in rupees)	Cumulative amount till this month (in rupees)
I.	Total Expenditure out of ad hoc Authority funds [Total Component wise works from Principal Amount] (1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
	1. Compensatory Afforestation						
	2. Additional Compensatory Afforestation						
	3. Penal Compensatory Afforestation						
	4. Net Present Value						

	5. Penal Net Present Value						
	6. Catchment Area Treatment Charges						
	7. Wildlife Conservation Plan Charges						
	8. Safety Zone Treatment Charges						
	9. Others (please specify)						
II.	Amount of expenditure from State Fund out of 90% share [Total component wise works from principal amount] (1+2+3+4+5+6+7+8+9)						
	Total Component wise Principal Amount works						
	1. Compensatory Afforestation						
	2. Additional Compensatory Afforestation						
	3. Penal Compensatory Afforestation						
	4. Net Present Value						
	5. Penal Net Present Value						
	6. Catchment Area Treatment Charges						
	7. Wildlife Conservation Plan Charges						
	8. Safety Zone Treatment Charges						
	9. Others (please specify)						
III.	Total Expenditure by State Funds out of interest transferred from ad hoc Authority						
IVa.	Amount Spent by State Fund (60% of interest accrued)[1+2+3+4+5+6]						
	1. to offset the incremental cost of compensatory afforestation and penal compensatory afforestation at the increased wage rates;						
	2. to offset the incremental cost of catchment area treatment plan at the increased wage rates;						
	3. to offset the incremental cost of wildlife management plan at the increased wage rates						
	4. Disbursement of salary and allowances of members and staffs, both regular and contractual, of the State Authority constituted under the Act;						

	5. Disbursement of sitting fees and allowances to nominated members of the State Authority constituted under the Act;						
	6.activities referred in sub rule (2) and (3) of rule 5						
IVb.	Amount Spent by State Fund (40% of Interest accrued)						
	Total Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v+vi)						
	i. Personnel services and benefits						
	ii. Administrative Expenses						
	iii. Other administrative expenses						
	iv. Monitoring and Evaluation Expenditure						
	v. Non recurring management expenditure like creation of capital asset						
	vi. Other expenditures referred in sub-rule (b) of rule 6						
V.	Outstanding dues to be paid to National Fund under the Act (out of 10% share and accrued interest on the National Fund share not transferred)						

Declaration

The above report has been verified and found correct. The report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature

Member-Secretary

State Authority

Form-IX

Annual Statement of State Authority on Physical and Financial achievements by the State _____

[see rule 37]

Sl.No	Description	Physical Target as approved in annual plan of operation (in units)	Actual physical achievement during the year (in units)	Physical Target (others)	Physical Achievements (others)	Financial Target (in Rs)	Financial Achievement (in Rs)
I.	Total expenditure out of ad hoc Authority funds [Total Component wise works from Principal Amount] (1+2+3+4+5+6+7)						
	1. Compensatory Afforestation						
	2. Additional Compensatory Afforestation						
	3. Penal Compensatory Afforestation						
	4. Net Present Value						
	5. Catchment Area Treatment Charges						
	6. Wildlife Conservation Plan Charges						
	7. Others (please specify)						

II.	Amount of expenditure by State Fund out of 90% share [Total Component wise works from Principal Amount] (1+2+3+4+5+6+7)						
	Total Component wise Principal Amount works						
	1.Compensatory Afforestation						
	2.Additional Compensatory Afforestation						
	3.Penal Compensatory Afforestation						
	4.Net Present Value						
	5. Catchment Area Treatment Charges						
	6.Wildlife Conservation Plan Charges						
	7.Others (please specify)						
III.	Total Expenditure by State Funds out of interest transferred from ad hoc Authority						
IVa.	Amount Spent by State Fund (60% of interest accrued)[1+2+3+4+5+6]						
	1.to offset the incremental cost of compensatory afforestation and penal compensatory afforestation at the increased wage rates;						
	2.to offset the incremental cost of catchment area treatment plan at the increased wage rates;						
	3.to offset the incremental cost of wildlife management plan at the increased wage rates						
	4.Disbursement of salary and allowances of members and staffs, both regular and contractual, of the State Authority constituted under the Act;						
	5. Disbursement of sitting fees and allowances to nominated members of the State Authority constituted under the Act;						
	6.activities referred in sub rule (2) and (3) of rule 5						
IVb.	Amount Spent by State Fund (40% of Interest accrued)						
	Total Administrative Expenditure (i+ii+iii+iv+v+vi)						

	vii. Personnel services and benefits			
	viii. Administrative Expenses			
	ix. Other administrative expenses			
	x. Monitoring and Evaluation Expenditure			
	xi. Non recurring management expenditure like creation of capital asset			
	xii. Other expenditures referred in sub-rule (b) of rule 6			
V.	Outstanding dues to be paid to National Fund under the Act (out of 10% share and accrued interest on the National Fund share not transferred)			

Declaration

The above report has been verified and found correct. The report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature

Member-Secretary

State Authority

Form-X

Records and Accounts to be maintained by the State Authority

[see rule 37]

The following accounts/records shall be maintained:

1. Cash Book, Ledger, Journal, and Public Fund Accounts Register.
2. Stock Register and Fixed Asset Register.
3. Registers showing expenditure by Heads of Accounts.
4. Monthly financial statement of Accounts and physical outputs.
5. Quarterly Monitoring Register.
6. Register for Annual Share of National Fund from the State Fund (State wise)
7. Register of Grants/Loans, etc.
8. Work register recording all physical works and corresponding expenditure carried out State Fund.
9. Plantation journal.

Form-XI

Statement of Accounts of State Authority for the financial year ending on 31st March, ____

[see rule 38]

(Separate Forms for other Grants/Loans etc. are to be submitted)

As on 31st March ____

1	2	3	4	5	6	7	8
S. No.	Head	Physical output as approved in annual plan of operation (in units)	Actual physical achievement during the year(in units)	Cumulative physical achievement till date. (in units)	Budget allocation during the year(in Rs)	Actual amount spent(in Rs)	Cumulative amount till date(in Rs)
I	Schemes						
	1. Compensatory Afforestation						

	2. Additional Compensatory Afforestation						
	3. Penal Compensatory Afforestation						
	4. Net Present Value						
	5. Catchment Area Treatment Charges						
	6. Improvement/protection of forest						
	7. Publicity and Education						
	8. Training						
	9. Movable assets						
	i						
	ii						
	iii						
	10. Immovable assets						
	i						
	ii						
	11. Other (specify)						
	i.						
	ii						

		Budget Allocation (in Rs.)	Actual amount spent during the year (in Rs.)	Actual amount spent during last year (in Rs.)	Remarks
II a.	Administrative Charges*				
b.	Other Administrative Expenses*				
c.	Others*				
III	Monitoring and Evaluation				
	e. Annual Audit				
	f. Comptroller and Auditor General Audit				
	g. E-green Watch Outcome				
	h. Third Party Monitoring				

Declaration

The above Report has been verified and found correct. The Report has been adopted by State Authority.

Date:

Signature
Member-Secretary
State Authority

Notes: IIa * Administrative charges include - Staff salary and wages, Pay and Allowances, Overtime Allowances, Pensionary charges, Medical Treatment, Administrative Expenses, Domestic Travel, Foreign Travel, Office Expenses, Electricity and Power, Water Charges, Rent, Rates and Taxes (including property tax), leasing and hiring of Staff Car including petroleum, oil and lubricants (POL), leasing and hiring of buildings for State Authority

IIb* Other administrative charges include - Expenditure on conference, seminar, workshop, etc. Training Programme, Advertisement and Publicity, Minor works, Professional Services, Other contractual Services.

IIIc* Others include Cartage and Carriage inwards (on purchase of fixed assets/non-recurring items), Printing and Publications (other than academic), Subscription Expenses (other than academic), Non recurring management expenditure like, creation of Capital Asset of State Authority, any other expenditure.

Form-XII

[see rule 39]

Annual Plan of Operation

[To be submitted by the 31st December of current year for next financial year]

The annual plan of operation (APO) shall be prepared in the following parts:

1. Part-1: Brief history and past performance

Part-I of APO shall contain:

- (a) Brief description of forests and forestry sector in the State.
- (b) Compensatory afforestation, other forestry and related schemes (physical and financial) including catchment area treatment, wildlife management and community development works and activities carried out therein in the State in last five years from the State Fund, in tabular form.
- (c) Forestry and other related schemes (physical and financial) and activities carried out therein in the state in previous years from the fund received under other schemes of the Government in tabular form.
- (d) Year wise total forest area diverted in the various districts/ forest divisions of the State since 1980, in tabular form.
- (e) Year wise total compensatory afforestation carried out in the State since 1980, in tabular form.
- (f) Brief description and abstract of the monitoring work done by the Monitoring and Evaluation Wing of the State Forest Department.
- (g) Brief description and abstract of the monitoring work done by the independent monitor (Third Party Monitoring) in the State
- (h) Any other important information for consideration relevant for preparing APO.

2. Part-II: Activities to be undertaken for compensatory afforestation, additional compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, catchment area treatment plan and for any other site specific scheme may be used as per site-specific schemes submitted by the State along with the approved proposals for diversion of forest land under the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) referred to in clause (a) of section 6 of the Act:

- (a) District/ forest division wise details of new compensatory afforestation, catchment area treatment plan works, wildlife management activities to be done as per the conditions imposed under forest clearance granted by the Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980.
- (b) Location, estimated cost and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district / division wise.
- (c) Details of maintenance works in physical and financial terms proposed to be undertaken in the current financial year in the case of compensatory afforestation work, catchment area treatment plan works, wildlife management activities and other such activities undertaken in previous years which need maintenance for its survival and sustainability.

Note: Details of only those districts may be provided where the compensatory afforestation, penal compensatory afforestation, catchment area treatment, wildlife management and other activities referred to in section 6 of the Act have to be undertaken during the current financial year under consideration.

3. Part-III: Activities to be undertaken from net present value and interest component referred in rule 5 and rule 6:

- (a) District/ forest division wise details of activities to be done in the State on specified activities referred to in rule 5 and rule 6.
- (b) Location, estimated cost and implementation schedule of each activity proposed to be executed from State Fund to be provided district / division wise.
- (c) Details of maintenance works in physical and financial terms, proposed to be undertaken in the current financial year in the case of activities undertaken in the State on specified activities referred to in rule 5 and rule 6 undertaken in previous years which needs maintenance for its survival and sustainability.

Note: Details of only those districts may be provided where these activities referred to in rule 5 and rules 6 have to be done during the current financial year under consideration.

4. Part-IV: Measurable output of all physical activities and targets of each permissible activity along with the period required for achieving the measurable output:

- (a) Physical and financial targets of each activity to be undertaken in measurable quantity along with the estimated cost of such activities in tabular form including details provided in part II and part III.
- (b) Measurable output of all physical activities to be undertaken along with the period required for achieving the measurable output.
- (c) Details of the concurrent monitoring and evaluation report including third party monitoring undertaken in past with photographs.

Note : The APO duly approved by the State Authority shall be submitted by the State Authority before the 31st December of every year to the National authority for the next financial year.

Declaration

The above annual plan of operation has been adopted by the State Authority.

Signature

Member-Secretary

State Authority

[F. No 11-100/2015-FC (Vol. III)]

DEEPAK KUMAR SINHA, Inspector General of Forests